water for people
INDIA
EVERYONE • FOREVER

पेयजल एवं स्वच्छता विषयक
ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं हेतु
एक दिवसीय प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

द्वारा: वाटर फॉर पीपल इण्डिया ट्रस्ट

water for people
INDIA
EVERYONE • FOREVER

पेयजल एवं स्वच्छता विषयक
ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं हेतु
एक दिवसीय प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

द्वारा: वाटर फॉर पीपल इण्डिया ट्रस्ट

पृष्ठभूमि

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता व स्वच्छता के प्रति पर्याप्त जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में दूषित पेयजल एवं मल–जनित बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं जिसका परिणाम उच्च मृत्यु दर (mortality rate) एवं रुग्णता दर (morbidity rate) के रूप में, विशेषकर शिशुओं में देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वच्छता संबंधी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण निर्देशिका और सामग्रियों का अभाव भी प्रतीत हो रहा है।

स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रहे ज़मीनी कार्यकताओं जैसे–स्वच्छाग्राही, स्वयं सहायता समूह, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों की क्षमता वर्धन के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता को देखते हुए सामुदायिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए वॉटर फॉर पीपल इंडिया ने यह प्रशिक्षण मार्गदशिका परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रहे सामुदायिक कार्यकत्ताओं और सुगम कर्ताओं के माध्यम से ज़मीनी कार्यकताओं, स्वच्छाग्राही, स्वयं सहायता समूह, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों की सक्रिय भागिदारी को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की है। इस मार्गदशिका के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम किये जाएंगे।

यह प्रशिक्षण मार्गदशिका उन्मुखीकरण के लिए सहयोगी एवं सदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकेगी। अलग–अलग समूह के लिए आवश्यकता अनुसार संदर्भ सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

यह मार्गदर्शिका वॉटर फॉर पीपल इंडिया के कंट्री डाइरेक्टर विश्वदीप घोष ने मार्गदर्शन में प्रोग्राम निदेशक वकील अहमद सिद्दीकी एवं महाराष्ट्र राज्य कार्यक्रम प्रमुख हेमन्त पिंजण के सहयोग से कार्यक्रम समन्वयक विजय सिंह भदौरिया के द्वारा तैयार किया गया है।

ज़मीनी कार्यकर्ताओं, स्वच्छाग्राही ग्राम पंचायत सदस्यों, स्व-सहायता समूहों व तदर्थ समिति के सदस्यों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम रूपरेखा

सत्र	विषयवस्तु	माध्यम	समयावधि
सत्र–1	पंजीयन एवं उपस्थिति		15 मिनट
सत्र–2	परिचय एवं कार्यक्रम के उद्देश्य के संबंध में चर्चा	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	15 मिनट
सत्र–3	प्रशिक्षण कार्यक्रम से अपेकक्षाएं	समूह कार्य	15 मिनट
सत्र–4	स्वच्छता अभियान की आवश्यकता	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	15 मिनट
सत्र–5	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की रूपरेखा एवं प्रावधान	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	45 मिनट
सत्र–6	स्वच्छताः साफ–सफाई के महत्वपूर्ण विषयों पर समझ विकसित करना ▶ हाथ धुलाई क्यों एवं कैसे करे ▶ घर एवं गांव की सामान्य साफ–सफाई	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण या अभ्यास	30 मिनट
सत्र–7	सुरक्षित पेयजल से संबंधित जानकारियां सुरक्षित पेयजल के स्रोत एवं उनका रखरखाव घरेलू स्तर पर पेयजल रख–रखाव एवं सुरक्षित आदतें	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	30 मिनट
सत्र–8	जल जीवन मिशन और उसके प्रावधान	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	15 मिनट
सत्र–9	ग्रमां स्तर पर जल सुरक्षा योजना का निर्माण–वॉटर सिक्योरिटी प्लान ▶ उद्देश्य एवं योजना के घटक योजना तैयार करने के चरण तथा प्रपत्रों की सूची	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	30 मिनट
सत्र–10	जल आपूर्ति व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	30 मिनट

सत्र	विषयवस्तु	माध्यम	समयावधि
सत्र–11	जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका (नोटः केवल जमानी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में उपयोग हेतु)	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	60 मिनट
सत्र–12	जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की भूमिका (नोटः केवल स्व–सहयता समूह व तदर्थ समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण में उपयोग हेतु)	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	60 मिनट
सत्र–13	जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ग्राम की अन्य समितियों एवं समूहों से समन्वय एवं सहयोग	चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	30 मिनट
सत्र–14	ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु कार्य योजना का निर्माण	प्रस्तुतीकरण	30 मिनट
सत्र–15	सामाजिक गतिशीलता गतिविधियों का आयोजन एवं सहयोग	प्रस्तुतीकरण	30 मिनट
सत्र–16	फीडबैक एवं समापन सत्र		15 मिनट

विषयसूची

सत्र–01: पंजीयन एवं उपस्थिति. 7

सत्र–02: परिचय एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों के संबंध में चर्चा 9

सत्र–03: प्रशिक्षण कार्यक्रम से अपेक्षाएं 10

सत्र–04: स्वच्छता अभियान की आवश्यकता 11

सत्र–05: स्वच्छ भारत मिशन एवं उसके प्रावधान 16

सत्र–06: सुरक्षित व स्वच्छ शौचालय एवं शौचालय के संबध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न 22

सत्र–07: स्वच्छताः साफ–सफाई के महत्वपूर्ण पहलूओं पर समझ निर्माण 26

सत्र–08: सुरक्षित पेयजल से संबंधित जानकारियां 38

सत्र–09: ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की रूपरेखा एवं प्रावधान व जल जीवन मिशन के प्रावधान 40

सत्र–10: जल सुरक्षा योजना का निर्माण–वॉटर सिक्योरिटी प्लान 44

सत्र–11: जलआपूर्ति व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव 46

सत्र–12: जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका 48

सत्र–13: जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की भूमिका 53

सत्र–14: जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ग्राम की अन्य समितियों एवं समूहों से समन्वय सहयोग 60

सत्र–15: ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु ग्रामीणों के साथ कार्य योजना तैयार करना 63

सत्र–16: सामाजिक गतिशीलता गतिविधियों का आयोजन एवं सहयोग 64

अनुलग्नक–1: पंजीयन फार्म 69

अनुलग्नक–2: कार्य योजना प्रपत्र 70

सत्र-1

पंजीयन एवं उपस्थिति

समय: 15 मिनट

उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी निर्धारित पंजीकरण फार्म पर विवरण लिखने मे सक्षम हो जाएंगे जो ट्रेनर एवं रिकार्ड के संदर्भ के लिए है।

सत्र हेतु तैयारी

- प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में पंजीयन फार्म की छाया प्रति करवा लें जिसे सभी प्रतिभागियो से भरवाया जा सके।

सत्र चरण

चरण 1: सभी प्रतिभागियों में पंजीयन फार्म का वितरण कर दें।

चरण 2: पंजीकरण फार्म के प्रत्येक भाग को पढ़कर प्रतिभागियों को स्पष्टीकरण दें।

चरण 3: प्रतिभागियों को फार्म भरने हेतु आवश्यक निर्देश बताएं

- पैन से ही फार्म भरें, पेंसिल से नहीं।
- सुपाठ्य लेखन हो।
- फार्म को भरकर एकत्र करें।

चरण 4: सभी प्रतिभागियों के पंजीकरण फार्म को एकत्रित करें एवं जांच करें कि किसी प्रतिभागी ने कोई स्तम्भ खाली हो तो पूर्ण करायें।

चरण 5: सत्र का समापन करें:

- फार्म भरने में सहयोग देने हेतु प्रशिक्षुओं को धन्यवाद दें।
- बताएं कि इस समिति से संबंधित आपको दिया गया प्रशिक्षण, तद् उपरांत आपकी भूमिका स्वच्छ भारत मिशन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी।

ट्रेनर हेतु नोट

- यदि समय की कमी है तो आप प्रतिभागियों को चाय अवकाश /भोजन अवकाश या दिन के अंत में फार्म भरने के लिए कह सकते हैं।
- देर से प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों से भी शीघ्र फार्म भरवा लें।
- जो भी प्रशिक्षु निरक्षर है उनका फार्म ट्रेनर स्वयं भरे।
- चूंकि प्रशिक्षु ग्राम स्तर के हैं ऐसे में ट्रेनर प्रत्येक मॉड्यूल को सरल परंतु विस्तृत तरीके से समझाने में सक्षम हों, ऐसे ही ट्रेनर को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मलित किये जाएं।

महत्वपूर्ण

ट्रेनर प्रत्येक पंजीयन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं प्रतिभागियों की प्रोफाइल, विशेष रूप से उनकी शिक्षा, व्यवसाय, अनुभव, प्रतिभा एवं समुदायिक ज्ञान के विषय में जानें।

कृपया ध्यान दें: पंजीयन फार्म के लिए पेज–69 पर अनुलग्नक–1 को देखें।

सत्र–2

परिचय एवं कार्यक्रम की रूपरेखा

समय: 15 मिनट

उद्देश्य

प्रतिभागियों के वारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों से परिचय कराया जा सकता है। परिचय के उपरान्त सभी प्रतिभागी आपस में मेलजोल बढायेंगे।

विधि

- समूह को दो बराबर भागों में विभाजित करें और उन्हें कक्ष के अंतिम सिरों पर खड़ा करें।
- समूह एक के एक सदस्य को दूसरे समूह में से एक साथी चयन करने को कहें।
- इसके पश्चात साथी सदस्य अपने साथी के विषय में सभी को बताएं।

विधि

सत्र का समापन करें

- स्वयं का परिचय देकर (यदि आपने पहले नहीं दिया हो तो)।
- प्रतिभागियों से पूछें कि सत्र का उद्देश्य पूरा हुआ है अथवा नहीं।

शीर्षक

प्रशिक्षण का उद्देश्य

विधि

प्रतिभागियों के परिचय उपरांत प्रशिक्षण कार्यकम का उद्देश्य बताया जाए

- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज़मीनी कार्यकर्ताओं, जैसे-स्वच्छतादूत, ग्राम पंचायत सदस्यों, स्व–सहायता समूहों व तदर्थ समिति के सदस्यों को जल एवं स्वच्छता के विषय पर उन्मुखीकरण किया जाना है।
- खुले में शौच मुक्ति की आवश्यकता, अवधारणा एवं कार्यक्रमों पर समझ निर्माण करना।
- सुरक्षित पेयजल आवश्यकता, व्यवस्था एवं कार्यक्रमों पर समझ विकसित करना।

नोट–सत्र के शीर्षक एवं उद्देश्य को प्रतिभागियों के साथ फ्लिप चार्ट की सहायता से साझा करें (या ब्लैक बोर्ड के साथ)।

सत्र-3

प्रशिक्षण कार्यक्रम से अपेक्षाएं

समय: 15 मिनट

सत्र का उद्देश्य

चरणों से समझाये

चरण 1: उपस्थित प्रतिभागियों को कार्डशीट दी जाये

चरण 2: प्रतिभागियों से ट्रेनिंग कार्यक्रम से उनकी दो प्रमुख अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं को लिखने हेतु आग्रह करें।

चरण 3: कार्ड पर लिखे विवरण को ब्लैक बोर्ड पर लिखें या कार्ड को विभिन्न अपेक्षाओं के अनुरूप चस्पा करें

चरण 4: उनकी आकांक्षाओं उचित जवाब दें।

चरण 5: प्रशिक्षण के दौरान लाजिस्टिक व्यवस्था का साझा करें।

- भोजन एवं चाय अवकाश। (अगर व्यवस्था आयोजक द्वारा की गयी हो)
- यदि आवासीय प्रशिक्षण है तो रहने की व्यवस्था संबंधी।
- कोई अन्य।

चरण 6: सत्र का समापन इस आशा के साथ करें कि

- हम साथ मिलकर ट्रेनिंग उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे।
- यह ट्रेनिंग एक प्रासंगिक एवं यादगार अनुभव होगा।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य

1. प्रशिक्षण के पश्चात सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता के विषय पर जानकारी प्राप्त होगी।
2. प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागियों को स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी।
3. ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त हेतु कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा।

सत्र–4

स्वच्छता अभियान की आवश्यकता

समय: 15 मिनट

उद्देश्य

- सभी प्रतिभागी खुले में शौच करने एवं अस्वच्छता के कारण होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में जान पाएंगे।
- गांव की गंदगी कैसे और कहां–कहां है? मानव मल कितना घातक है एवं यह कैसे हम तक वापस पहुंचता है।
- गंदगी और बीमारी का संबंध।

अस्वच्छता के निम्नानुसार दुष्प्रभाव हैं।

- पांच में से चार बीमारियां जल जनित होती हैं और जिसमें से उल्टी दस्त बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण हैं।
- पीने के पानी में मानव एवं जानवरों के मल के मिलने से कई कीटाणु और जीवाणु पानी में मिल जाते हैं जिससे जल जनित बीमारियां फैलती हैं।
- हमारे भारत देश में 386600 बच्चों की हर वर्ष उल्टी दस्त से मृत्यु हो जाती है जिसका मुख्य कारण अस्वच्छता ही है। यानि लगभग 1050 बच्चों की मृत्यु जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। संदर्भ–लान्सेट 2008।
- विद्यालयों में शौचालय के अभाव में हमारी अधिकतम बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा के बाद ही शाला छोड़ देती हैं।
- कम उम्र के बच्चे सबसे प्रायः इसके दुष्प्रभाव से ग्रसित होते हैं।
- हर बच्चा औसतन रूप से साल में 5 से 8 बार उल्टी दस्त से ग्रसित होता है जिससे उसका हर बार 10 प्रतिशत वज़न कम कर लेता है।
- खुले में शौच से अनेक संक्रामक बीमारिया फैलती है। व्यक्ति के मल में बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु मौजूद रहते हैं, जिससे पेट के कीड़े ,पेचिश अतसार, हैजा, टायफाइड ,पीलिया, एवं पोलियो जैसी बीमारियां फैलती है।

गतिविधि 1–हमारा मल हमारे पास लौट आता है

- प्रतिभागियों के साथ चार्ट के माध्यम से चर्चा करें। यह चित्र देखें

चर्चा के बिंदु

- क्या आपके गांव में खुले में शौच की प्रथा है?

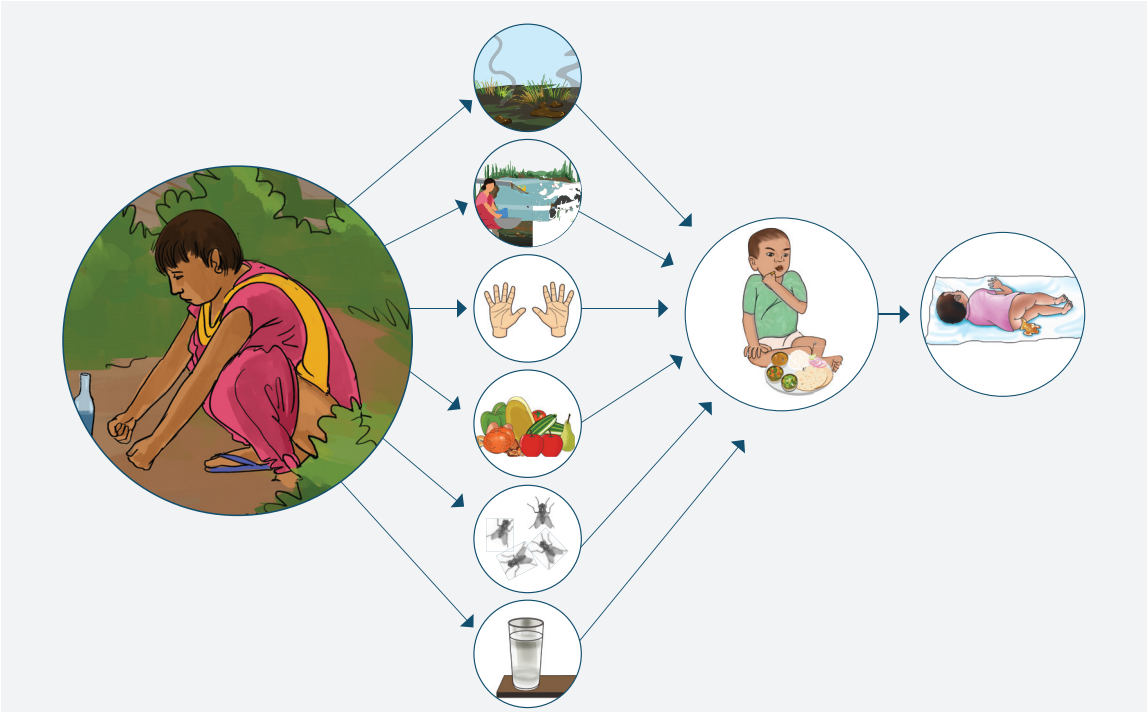

- क्या आपके गांव में मक्खियां हैं?
- क्या मक्खियां मल को हम तक वापस पहुंचा देती हैं?
- क्या सूखा मल हवा के ज़रिए हमारे भोजन/पानी/सांस में मिल सकता है?
- क्या जानवरों के पैरों व वाहनों (साइकल, मोटरसाइकल) के ज़रिए मल हम तक लौट सकता है?
- क्या खेत मे किया हुआ मल हमारे हाथों/फलों सब्ज़ियों के ज़रिए हम तक पहुंच सकता है?
- क्या वर्षा के पानी के साथ मिलकर गांव के आस पास फैला मल हमारे पेयजल स्रोतों तक पहुंचता है?

हमारा मल हमारे पास पुनः आता है

हम यह सोचना भी पसंद नहीं करेंगे कि हमारा मल हम ही खा रहे हैं। परन्तु वास्तविकता है कि खुले में छोड़ा गया मल छः रास्तों से होकर हमारे ही पास लौट आता है। ये छः रास्ते हैं

बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान

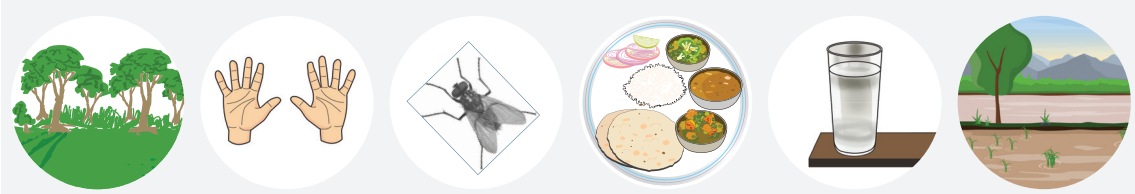

बच्चों के मल में भी बहुत अधिक मात्रा में कीटाणु होते हैं अतः उसका भी सुरक्षित निपटान करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों के मल के निपटान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें–

1. यदि घर में शौचालय हो तो बच्चों के मल को उसी में डालें और वहीं धोएं।
2. यदि बच्चे बड़े हैं तो उनको बाहर शौच करवाने के बजाय शौचालय में बैठाएं।
3. यदि घर में शौचालय नहीं है तो घर से दूर बच्चों के मल को एक छोटा गड्ढ़ा कर उसमें डाल दें, ताकि उस पर मक्खियां ना बैठें और गंदगी न हो।
4. बच्चों का मल साफ करने के बाद साबुन से अच्छी तरह धोना ना भूलें।
5. घर में शौचालय बनवाएं ताकि बच्चों सहित सभी स्वस्थ रहें।

गतिविधि 2–बीमारी का कारण जानो

सहायक सामग्री–बोर्ड व बोर्ड मार्कर

बीमारी–कारण–निवारण–फ्लेक्स

गतिविधि

प्रशिक्षक/सहजकर्ता प्रतिभागियों से पूछें कि गांव में ज़्यादातर कौन सी बीमारियां होती हैं–इन्हें बोर्ड पर लिखें अब प्रतिभागियों से पूछे कि एक–एक करके प्रत्येक बीमारी का कारण बताएं– जो भी वह जानते हैं।

बीमारी?	कारण?	निवारण
मलेरिया	मच्छर	.....

अब प्रशिक्षक/सहजकर्ता प्रतिभागियों के सामने बीमारी–कारण–निवारण फ्लेक्स लगाए और चर्चा करें

चर्चा बिंदु

- गांव में ज़्यादातर कौन सी बीमारियां होती हैं?
- क्या गांव में बीमारियां किसी विशेष मौसम में ज़्यादा होती हैं?
- कौन–कौन सी बीमारियां गंदा पानी पीने से होती है?
- कौन–कौन सी बीमारियां मच्छरों से होती है?
- गंदगी की समस्या समाप्त होने से हम किन–किन बीमारियों से बच सकते हैं?

गतिविधि 3—गंदगी और गरीबी का दुष्चक्र

सामग्री—बोर्ड व बोर्डमार्कर

गतिविधि

अधिक जानकारी हेतु सहजकर्ता केस स्टडी को पढ़कर सुनाएं—

झिरन्या गांव में रहने वाले सीता राम खेतीहर मज़दूर हैं। सीता राम को पटेल के खेत में काम करने के एवज में 60 रूपये रोज़ मिलते हैं। सीता राम के वार्ड में बहुत गंदगी है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों और गड्ढ़ों में जमा होता रहता है। जिससे सीताराम के मोहल्ले में मच्छरों की भरमार है। सीता राम के गांव के सभी लोग शौच के लिए भी खुले में तालाब किनारे जाते हैं। गांव में लोगों को पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया, दस्त आदि बीमारियां होती रहती हैं। एक बार सीताराम को मलेरिया हुआ जिसके कारण वह दस दिन काम पर नहीं जा सका। पटेल ने सीता राम की मजदूरी के 600 रूपये काट लिये। इलाज में भी सीताराम के 400 रूपये खर्च हो गए। उस महीने उसे 2400 रूपये के बजाय कुल 1400 रूपये की आमदनी हुई। सीताराम ने पैसे की कमी के कारण भोजन में दाल, सब्जी बनाना बंद कर दिया। बच्चे को दूध भी बंद करवाना पड़ा अब सीता राम थोड़े—थोड़े दिनों में बीमार हो जाता है। उसके परिवार के सभी सदस्य बीमार रहने लगे हैं। सीता राम अब नियमित काम पर नहीं जा पाता है और उस पर कर्ज़ का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कर्ज़ चुकाने के लिए उसे अपनी भैंस बेचनी पड़ी लेकिन अभी भी कर्ज़ा पूरा नहीं उतरा है। सीता राम इन दिनो बहुत परेशान रहता है।

चर्चा के बिन्दु गंदगी के कारण

- अतिसार से प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की मृत्यु
- आंत और पेट की बीमारी से करोड़ो बच्चों को कष्ट
- मलेरिया से लाखों लोगों की मृत्यु जिनमें ज़्यादातर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे
- पीलिया से प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की मृत्यु
- बीमारी के कारण रोज़गारी कार्य घंटों की हानि
- 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण पीने का गंदा पानी है गंदगी से होने वाली बीमारियों से हर 80 सेकेंड में एक बहुमूल्य जीवन नष्ट हो जाता है।

इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए हमें स्वच्छता अभियान की आवश्यकता है।

स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्राम और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करके पूर्ण स्वच्छ बनाना है।

सत्र-5

स्वच्छ भारत मिशन

समय: 15 मिनट

उद्देश्य:

इस सत्र के पष्चात सभी प्रतिभागी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जान पाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन के संबध में जानकारी

भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में 1954 में शुरू किया गया था। 1981 की जनगणना से पता चला कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज मात्र 1 प्रतिशत था। वर्ष 1981–90 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर ज़ोर देना शुरू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) शुरू किया जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा महिलाओं को निजता एवं सम्मान प्रदान करना था। 1999 से''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (टीएससी) के अन्तर्गत''मांग जनित''दृष्टिकोण ने ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता तथा स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन में वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों पर अधिक ज़ोर दिया। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार, वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्रों के जरिए समुचित विकल्पों का चयन करने हेतु उनकी क्षमता में बढ़ोत्तरी करना है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण तथा उपयोग पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए।

स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए, प्रथम निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) 2005 में प्रदान किए गए थे जिनमें पूर्ण स्वच्छता कवरेज और खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों की स्थिति तथा अन्य संकेतकों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों और किए गए उपायों को मान्यता प्रदान की गई। निर्मल स्थिति प्राप्त करने के लिए समुदाय में इच्छा जागृत करने के लिए इस पुरस्कार को लोकप्रियता प्राप्त हुई जबकि पुरस्कार प्राप्त कुछ एक ग्राम पंचायतों में स्थायित्व के मुद्दे बने रहे हैं।

पहले के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के बदले ''निर्मल भारत अभियान ''(एनबीए) 1.4.2012 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना था ताकि नवीकृत कार्यनीतियों और स्वच्छता दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से कवर किया जा सके। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) में निर्मल ग्राम

पंचायतों की दृष्टि से संतृप्तिकरण परिणामों के लिए समग्र समुदाय को कवर करने की परिकल्पना की गई थी। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अन्तर्गत, आईएचएचएल के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि की गई तथा आगे महात्मा गांधी नरेगा से सहायता प्राप्त करने पर ध्यान केंन्द्रित किया गया।

सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा स्वच्छता पर ध्यान केंन्द्रित करने हेतु, भारत के प्रधान मंत्री ने दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की है। इस मिशन में दो घटक शामिल हैं – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) जिनका उद्देश्य महात्मा गांधी की 150 वीं जन्म वर्ष गांठ को सही श्रद्धांजलि प्रदान करने के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त की। जिसका तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के जरिए स्वच्छता स्तरों को उन्नत बनाना तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच प्रथा से मुक्त, स्वच्छ एवं साफ–सुथरा बनाना है। इस मिशन में कमियां दूर करने का प्रयास किया जाएगा जो इस समय प्रगति में रूकावट पैदा कर रही थीं तथा परिणामों को प्रभावित करने वाले जटिल मुद्दों पर ध्यान केंन्द्रित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा–निर्देश और उसके अंतर्गत प्रावधानों को 02.10.2014 से लागू कर दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य

(क) स्वच्छता, साफ – सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।

(ख) दिनांक 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज़ करना।

(ग) जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता और आदतें अपनाकर समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।

(घ) पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(ड.) जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ – सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क को कार्यक्रम के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण चरणों को कवर करते हुए क्रियाकलापों की रूपरेखा के साथ तैयार किया गया हैं :

(1) योजना चरण

(2) कार्यान्वयन चरण

(3) स्थायित्व चरण

इन प्रत्येक चरणों में गतिविधियां शामिल होंगी जिन्हें ठोस कार्य योजना के साथ विशेष रूप से पूरा किए जाने की

स्वच्छ भारत मिशन की कार्यनीति

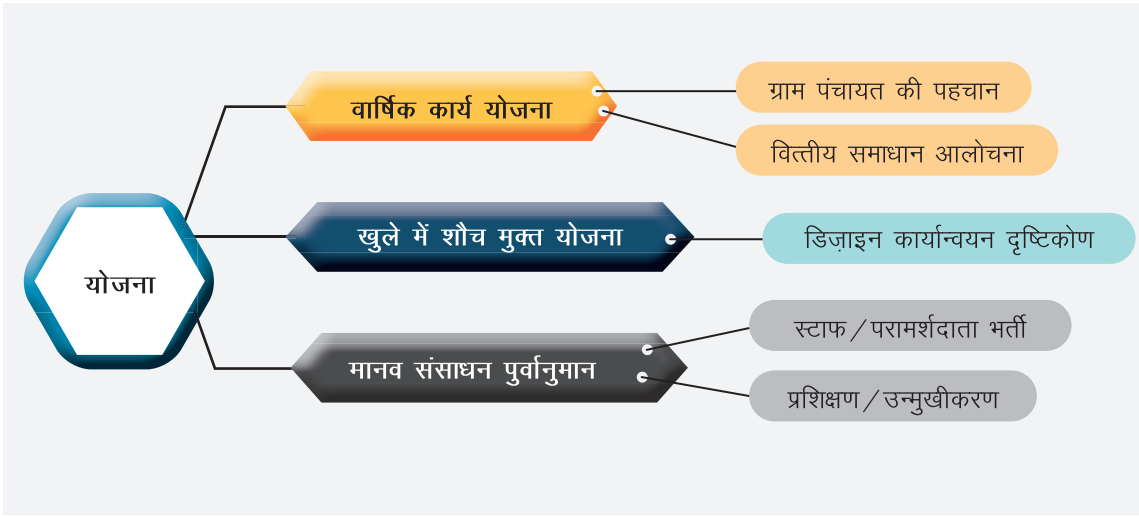

स्वच्छ भारत मिशन की कार्यनीति

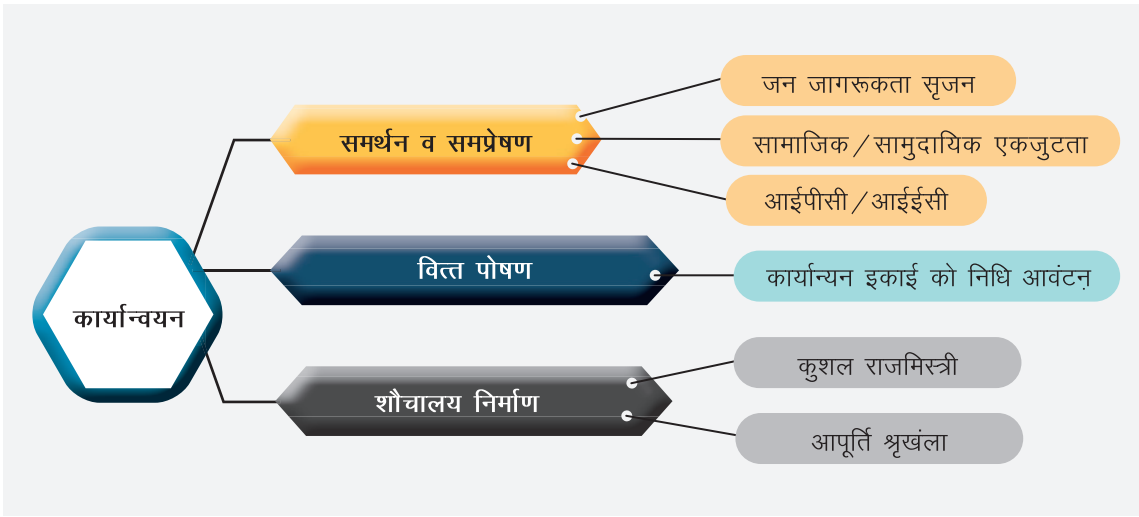

स्वच्छ भारत मिशन की कार्यनीति

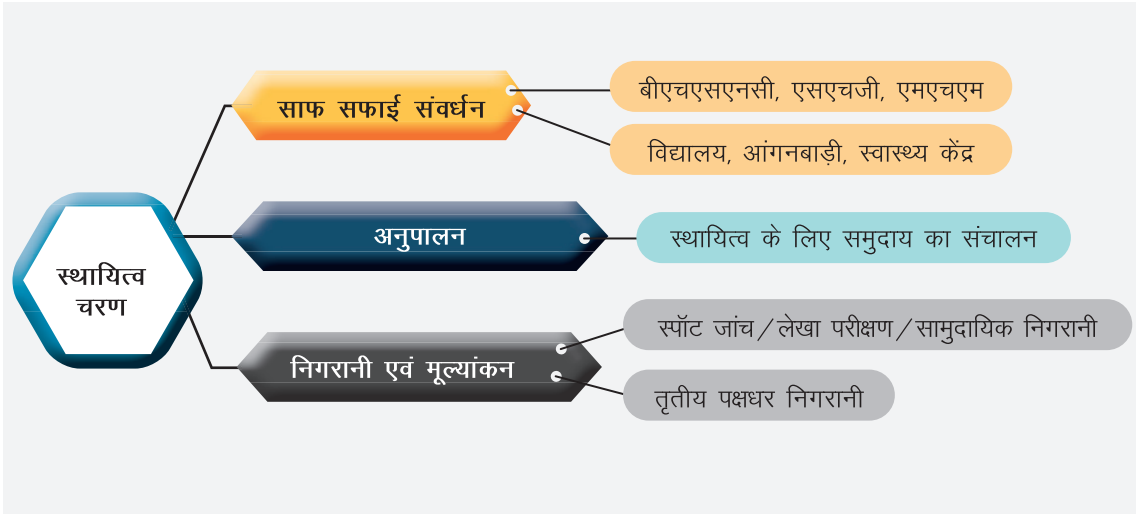

आवश्यकता होगी।

एसबीएम कार्यक्रम कार्यान्वयन का एक योजनागत निदर्शन एक दृष्टांत मॉडल के रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अंर्तगत प्रावधान व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधानः–

स्वच्छ भारत मिशन अंर्तगत प्रावधान

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधानः

अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि रू. 12000/– (केन्द्रांश रू. 9000/– व राज्यांश रू. 3000/–) है। प्रोत्साहन राशि हेतु लाभित वर्ग के पात्र हितग्राही निम्नानुसार है –

- अनुसूचित जाति बी.पी.एल/ए.पी.एल,
- अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल/ए.पी.एल,
- सामान्य/ अन्य पिछडे वर्ग के बी.पी.एल,
- लघु व सीमान्त कृषक,
- ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार,
- शारीरिक रूप से निःशक्त,
- परिवार का मुखिया यदि महिला हो।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण– II के संबध में जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रथम चरण के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भारत सरकार नें इस कार्यक्रम के चरण– II के अनुमोदन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई की स्थिति में सुधार लाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को नवीन रूप दिया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण– II को ग्रामीण भारत के लोगों और समुदाय की क्षमता का उपयोग करने के लिये विशिष्ट रूप से डिजाईन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुलें में शौचमुक्त स्थिति को बनाये रखना और लोंगों द्वारा सुरक्षित व्यक्गित साफ–सफाई के व्यवहार को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये इसे एक जन आंदोलन बनाया जा सके, और सभी गांवों में ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्थाएं मौजूद हों।

गांवों को ODF प्लस बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तथा उसमें स्वच्छता सुविधाओं को संतृप्त करनें के लिये, वित्तपोषण के विभिन्न स्त्रोतों और केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का एक नया मॉडल होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा, शेष निधियां, विशेष रूप से SLWM हेतु, ग्रामीण स्तरीय निकायों को 15वां वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जायेगी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण– II के उद्देश्य

स्वच्छ भारत मिषन (ग्रामीण) चरण– II का मुख्य उद्देश्य गॉव की खुले में शौंचमुक्त स्थिति को बनाये रखना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ– सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हे ODF प्लस बनाना है।

(क) खुले में शौचमुक्त स्थायित्वः गांव के प्रत्येक परिवार, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन और आंगनवाडी केन्द्रों में शौचालय उपलब्ध हो और गांव में व्यवहार परिवर्तन का संचार जारी हो। कम से कम 5 स्थानों पर सूचना, शिक्षा और संचार संदेशों को गांव में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाये। यदि गांव में 100 से अधिक घर हैं, तो वहां एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर होना चाहिये।

(ख) ठोस कचरा प्रबंधन : इसमें न्यूनतम 80 प्रतिशत परिवारों और सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों और आंगनवाडी केन्द्रों सहित) के लिये ठोस कचरे का प्रभावी ढ़ग से प्रबंधन किया गया हो। इसें मवेषियों और कृषि गतिविधियों से उत्पन्न बाये–डिग्रेडेबल कचरे का व्यक्तिगत और सामुदायिक कम्पोस्ट पिट्स के द्वारा एवं प्लास्टिक कचरे के लिये पर्याप्त अलगाव एवं संग्रह प्रणाली सुनिष्चित करते हुए, प्रबंधन शामिल है।

(ग) तरल कचरा प्रबंधनः इसमें न्यूनतम 80 प्रतित परिवारों और सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों और आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) के लिय तरल कचरे का प्रभावी प्रबंध किया गया हो। इसमें रसोई में उपयोग और नहाने में उपयोग के बाद का गंदा जल और बरसाती पानी, नालियों और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सोक पिट्स द्वारा सेप्टिक टैंक के ओवरफ्लो से निकले गंदे पानी का प्रबंधन शामिल है।

(घ) प्रत्यक्ष स्वच्छताः किसी गांव को प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ तभी कहा जायेगा जब वहां के 80 प्रतिशत परिवारों और सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा एवं न्यूनतम जल जमाव दिखे और गांव में कहीं भी प्लास्टिक कचरे का जमाव न हो।

उपरोक्त उद्देश्यों को सभी स्तरों पर निरंतर व्यवहार परिवर्तन, प्रेरणा और क्षमतावर्धन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं।

कार्यान्वयन के मार्गदर्शी सिद्धांत

- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाये।
- ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिये सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता व उनका वित्तपोषण।
- जहां भी संभव हो, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाओं का उपयोग करना।
- पुनः उपयोग से जुड़ी ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करना।
- व्यापार मॉडल का उपयोग/स्व–स्थाई मॉडलों का सृजन।
- संचालन एवं रख–रखाव को आयोजना के एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल करना।
- कम संचालन एवं रख–रखाव लागत वाली प्रौद्यौगिकीयों को बढ़ावा देना।
- राज्यों को उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और विकल्पों के चयन करने की छूट।
- अधिकतम आर्थिक क्षमता विकास हेतु गांवों का समूह बनाना।
- गंगा तथा अन्य जल निकायों के किनारे पर स्थित गॉवों को प्राथमिकता देना।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण– II के अधीन कार्यक्रम वित्तपोषण प्रावधान

<table>
<tr><th colspan="2">घटक</th><th colspan="2">वित्तीय सहायता</th></tr>
<tr><td colspan="2">वैयक्तिक घरेलू शौचालय निर्माण के लिये प्रोत्साहन राशि (BPL और चिन्हित APL)</td><td colspan="2">12000/– रूपय तक
(साफ–सफाई रखने के लिये धुलाई करने और हाथ धोने के हेतु पानी के भण्डारण सुविधा की वयवस्था सहित)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SLWM गतिविधियां</td><td rowspan="4">ग्राम स्तरीय SLWM गतिविधियां</td><td>गांव का आकार</td><td>वित्तीय सहायता</td></tr>
<tr><td>5000 तक जनसंख्या</td><td>ठोस कचरा प्रबंधनः प्रतिव्यक्ति 60 रूपये तक
गंदला जल प्रबंधनः प्रतिव्यक्ति 280 रूपये तक</td></tr>
<tr><td>5000 से अधिक जनसंख्या</td><td>ठोस कचरा प्रबंधनः प्रतिव्यक्ति 45 रूपये तक
गंदला जल प्रबंधनः प्रतिव्यक्ति 660 रूपये तक</td></tr>
<tr><td colspan="2">टिप्पणीः
इस राशि का 30 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से वहन किया जायेगा।
प्रत्येक गांव ठोस कचरा एवं गंदला जल प्रबंधन दोनों के लिये अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कुल न्यूनतम 1 लाख रूपय तक की राशि का उपयोग कर सकता है।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SLWM गतिविधियां</td><td rowspan="3">ज़िला स्तरीय SLWM गतिविधियां</td><td>प्लाटिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक ब्लॉक में एक)</td><td>प्रति इकाई 16 लाख रूपय तक</td></tr>
<tr><td>मलीय कचरा प्रबंधन (FSM)</td><td>प्रति व्यक्ति 230 रूपय तक</td></tr>
<tr><td>गोबर–धन परियोजनाएं</td><td>प्रति जिला 50 लाख रूपय तक</td></tr>
<tr><td colspan="2">सामुदायिक स्वच्छता परिसर</td><td colspan="2">3 लाख रूपय तक
टिप्पणीः इस राशि के 30 प्रतिशत भाग को ग्राम पंचायतों द्वारा 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त अपने अनुदानों से वहन किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td colspan="2">IEC और क्षमता निर्माण</td><td colspan="2">कार्यक्रम संबंधी घटको के लिये वित्त पोषण का कुल 5 प्रतिशत तक (3 प्रतिशत तक का उपयोग राज्य और ज़िला स्तर पर तथा 2 प्रतिशत का उपयोग केन्द्रीय स्तर पर किया जाना है)</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रशासनिक व्यय</td><td colspan="2">कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिये वित्त पोषण का 1 प्रतिशत तक</td></tr>
<tr><td colspan="2">परिचक्राणी गतिविधियॉं</td><td colspan="2">परियोजना परिव्यय का 5 प्रतिशत तक अधिकतम 1.5 करोड़ प्रति ज़िले के अध्यधीन</td></tr>
<tr><td colspan="2">फ्लैक्सी निधियॉं</td><td colspan="2">इस परियोजना के समग्र उद्देश्य के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये राज्य स्तर पर नवाचारों/ प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिये समय–समय पर इस संबंध में वित्त मंत्रालय से जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा फ्लेक्सी निधियों का उपयोग किया जा सकता है।</td></tr>
</table>

सत्र-6

सुरक्षित व स्वच्छ शौचालय के संबध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

समय: 30 मिनट

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात सभी प्रतिभागी सुरक्षित व स्वच्छ शौचालय के बारे में जान पाएंगे।

सुरक्षित व स्वच्छ शौचालय वह है

1. जिसके निर्माण में निर्धारित मानको का पालन किया गया हो।
2. जल स्रोत से शौचालय के गड्ढ़े की दूरी कम से कम 10 मीटर हो जिससे जल स्रोत गंदे ना हो।
3. शौचालय के आस पास मक्खी व गंदी बदबू आदि न हो।

व्यक्तिगत शौचालय क्यों?

स्वच्छ पर्यावरण के लिए मानव मल का उचित निपटान अत्यंत आवश्यक है। मल के उचित निपटान नहीं होने से या खुले में मल त्याग करने से मल के द्वारा पेयजल के स्त्रोत गंदे होते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त आदि फैलती है। खुले में त्याग किया हुआ मल विभिन्न माध्यमों जैसे पानी, मक्खियां, हाथों, जानवरों के पैरों आदि से हमारे भोजन में मिलता है और दूषित करता है। खुले में मल त्याग करने से महिलाओं के मान सम्मान को भी ठेस पंहुचती है साथ ही बरसात आदि में खुले में शौच जाने जैसी कठिनाइयां होती हैं। इस के दुष्टिगत आवश्यक है कि हर घर में एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो। शौचालय निर्माण में कार्य कर रहे राजगीरें, मेड एवं स्वच्छता दूत को ध्यान रखें कि मानक अनुसार गुणवत्ता वाले शौचालय का निर्माण हो जिसे पूरा परिवार बिना किसी समस्या के उपयोग कर सके।

प्रतिभागियों को अवगत करायें कि जल बन्द सोख्ता गडढे वाले शौचालय सेप्टिक टेंक वाले शौचालय से अच्छा है। अधिक जानकारी हेतु निम्न जानकारी दें–

सोख्ता गड्ढ़े वाले शौचालय सेप्टिक वाले शौचालय से बेहतर हैं ,क्योंकि?

सोख्ता गड्ढ़े वाला शौचालय	सेप्टिक टैक वाला शौचालय
▶ कम लागत एवं जगह में बन जाता है	▶ ज़्यादा लागत एवं जगह की आवश्यकता होती है।
▶ उपयोग में कम पानी की आवश्यकता होती है	▶ उपयोग हेतु ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है
▶ मल सोख्ते गड्ढ़े में जाकर खाद में परिवर्तित हो जाता है। एक दो साल बाद इसे निकाल कर खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, दुर्गन्ध भी नही आती है।	▶ मल खाद में नही बदलता एवं खाली करना कठिन होता है।
▶ सफाई पर बार–बार होने वाला कोई खर्चा नहीं।	▶ रखरखाव में अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है।
▶ गड्ढ़े को भर जाने पर खाली करना आसान है। इसमें मक्खी, मच्छर आदि नही होते हैं।	▶ सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल के निपटान की समस्या। पर्यावरण प्रदूषित होता है।
	▶ मच्छर, मक्खी हो सकते है।

शौचालय के संबध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात सभी प्रतिभागी शौचालय के संबध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में जान पाएंगे।

प्रश्नः **सदियों से हमारे गांव में किसी भी घर में शौचालय नहीं है तथा हमारे घर में कोई बीमार नहीं है तो हमें फिर शौचालय क्यों बनाना चाहिए?**

उत्तरः ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करना एक पुरानी प्रथा है, लोगों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हैं परन्तु बहुत सारे अध्ययनों/वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण अस्वच्छता एवं खुले में मल त्याग करना है। एक ग्राम मल में एक करोड़ वायरस तथा 10 लाख बैक्टिरिया होते हैं ,ये वायरस एवं बैक्टिरिया, मक्खी के साथ भोजन के माध्यम से मनुष्यों में प्रवेश कर बीमार कर देते है। इसके अलावा शौचालय के अभाव में महिलाओं को विशेषकर सबसे अधिक कठिनाई होती है जिन्हें शौच करने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। सांप, बिच्छू तथा उनके सम्मान का खतरा भी बना रहता है। बच्चों के शौच के बारे में भी कुछ भ्रान्तिंया हैं कि यह हानिकारक नहीं होता है, परन्तु ऐसी बात नही है यह भी उतना ही हानिकारक होता है, पोलियों शौच के माध्यम से फैलता है।

प्रश्नः **घर के आस पास शौचालय निर्माण से तो और गंदगी फैलेगी?**

उत्तरः यह गलत धारणा है। सोख्ता गड्ढ़े वाले शौचालय में मल का सुरक्षित निपटान होता है और साथ ही कोई बदबू भी नहीं आती। खुले में शौच करने से मानव मल का, पानी, मक्खियों, हाथों, जानवरों के पैरों आदि माध्यमों से हमारे पास पहुंचने का खतरा बना रहता है किन्तु सोख्ता गड्ढ़े वाले शौचालय एकदम सुरक्षित एवं स्वच्छ हैं।

प्रश्नः गड्ढे वाले शौचालय की आयु क्या है?

उत्तरः एक गड्ढ़ा जो 3 फीट व्यास तथा 4 फीट गहरा हो, अगर एक परिवार के 6–8 सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता हो तो कम से कम गढ्ढे को भरने में 4–5 साल लगेंगे। एक बार गड्ढ़ा भर जाए तो इसे बन्द कर देना चाहिए तथा दूसरा गड्ढ़े का उपयोग प्रारम्भ कर देना चाहिए। 15 से 18 माह के बाद मल बढ़िया जैव उर्वरक (खाद) बन जाएगा। इस खाद में न तो कोई गन्ध होगी तथा न ही कोई हानिकारक जीवाणु। इसका उपयोग खेत एवं बागानों में किया जा सकता है या बेचा भी जा सकता है।

प्रश्नः शौचालय के ऊपरी हिस्से में रोशनदान (वेन्टिलेशन) देने की क्या आवश्यकता है?

उत्तरः शौचालय के ऊपरी हिस्से में क्रास वेन्टिलेशन के लिए जगह दी जाना अति आवश्यक है इससे शौचालय में हवा एवं रोशनी आती है। साथ ही इससे बदबू भी नही आती है। ऊपरी हिस्से के भाग में छत से थोड़ा नीचे ईटों की चिनाई में जगह छोड़कर रोशनदान (वेन्टिलेशन) बनाये जा सकते है। दरवाजे भी रोशनदान (वेन्टिलेशन) वाले ही उपयोग किये जाने चाहिये। रोशनदान (वेन्टिलेशन) पीछे एवं साइड की दीवारों में दिये जा सकते है।

प्रश्नः क्या गढ्ढे की गहराई बढ़ाना लाभदायक है?

उत्तरः अगर हम गड्ढ़े की गहराई बढ़ायेगे तो भूमिगत जल प्रदूषित होगा। इसके साथ 3 फीट चौड़ा एवं 4 फीट गहरा गड्ढ़ा 1 परिवार के उपयोग के लिये पूर्णतः अनुकूल है। इसके निर्माण के लागत में भी वृद्वि होगी, अधिक गहराई पर डिकम्पोजिशन (मल के खाद बनने की प्रक्रिया) सही ढंग से नही हों पायेगा चूंकि वहां पर्याप्त सूर्य की रोशनी के माध्यम से ऊष्मा नही पहुंच पाएगी और जो खाद बनेगा उसे निकालने में कठिनाई होगी। अतः गढ्ढे की गहराई बढाना लाभदायक नही है। चूंकि दो गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है इसलिये एक गड्ढ़ा भर जाने पर दूसरे गड्ढ़े से शौचालय का उपयोग जारी रखा जा सकता है।

प्रश्नः क्या गड्ढ़े वाले शौचालय में वेन्ट पाईप लगाने कि जरुरत है?

उत्तरः सोख्ता गड्ढ़े वाले शौचालय में वेन्ट पाईप लगाने कि अवाश्यकता नही होती है क्योकि गड्ढ़े की दीवार में छिद्र होते है जिसके द्वारा गैस मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। वेन्ट पाईप की आवश्यकता सेप्टिक टेंक शौचालयों में होती है। शौचालय का निर्माण घर के अन्दर भी किया जा सकता है।

प्रश्नः घर बनाने के लिये तो पर्याप्त जगह नहीं है, शौचालय बनाने के लिये जगह कहां से आयेगी?

उत्तरः यह धारणा है कि शौचालय बनाने के लिये ज़्यादा जगह की अवाश्यकता होती है क्योंकि हम सेप्टिक टैंक शौचालय को ही जानते है परन्तु हमें यह मालूम होना चाहियें की गड्ढ़े वाले शौचालय का निर्माण मात्र 1 मीटर व्यास में भी किया जा सकता है। अतः थोड़ी सी ही जगह में इस तरह के शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है। चूँकि यह जलबंद (वाटरसील) शौचालय है अतः इससे बदबू भी नहीं आती है।

प्रश्नः यदि एक शौचालय को 6–8 सदस्य उपयोग करते है तो क्या उससे पानी बाहर आने लगेगा?

उत्तरः नहीं, ऐसा नही होगा। सोख्ता गड्ढ़ा वाले शौचालय एक दिन में 60 से 70 लीटर पानी आराम से सोख सकता है। परंतु इस प्रकार के शौचालय में पानी की कम मात्रा का उपयोग करना चाहिये।

प्रश्नः शौचालय के उपयोग के लिए पानी कहां से लाये?

उत्तरः मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में कम से कम हेण्डपंप के द्वारा तो पानी की उपलब्धता की व्यवस्था है। सोख्ता गड्ढ़े वाले एवं अधिक ढ़लान के पैन वाले शौचालय में कम पानी की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण की डिजाईन में टंकी का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें पानी भरकर रखा जा सकता है।

प्रश्नः शौचालय के दोनो गड्ढों के बीच में कितनी दूरी होना चाहिये?

उत्तरः शौचालय के दोनो सोख्ता गढ्ढों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

प्रश्नः शुद्ध पेयजल स्रोत से शौचालय की कम–से–कम कितनी दूरी होनी चाहिए ?

उत्तरः शौचालय के गड्ढे की दूरी पेयजल स्त्रोतों जैसे हैंडपंप, कुआं, बावड़ी, इत्यादि से न्यूनतम 10–15 मी. होना चाहिये। यदि पेयजल स्त्रोत, गढ्ढे (पिट) की तुलना में उंचाई पर (अपस्ट्रीम में) है तो न्यूनतम दूरी 10 मी. होना चाहिये और यदि पेयजल स्त्रोत की तुलना में गड़्ढा उंचाई पर (स्त्रोत डाउन स्ट्रीम में) है, तो दूरी न्यूनतम 15 मी होना चाहिये, जिससे पेयजल स्त्रोत प्रदूषित न हो।

प्रश्नः शौचालय के निर्माण में रूरल पेन, एस टाईप के मुर्गो एवं पैरदान का ही उपयोग क्यों करना चाहिये?

उत्तरः शौचालय के निर्माण में रूरल पेन, एस टाईप के मुर्गों (ट्रेप) एवं पैरदान का ही उपयोग किया जाना चाहिये। रूरल पेन का स्लोप ज्यादा होता है जिससे मल को बहाने में कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही एस टाईप के मुर्गो (ट्रेप) से भी मल जल्दी निकल जाता है और यह बदबू को बाहर आने से भी रोकता है। पैरदान को सही जगह पर लगाने से मल इधर उधर गिरने की बजाय सीधे पेन में गिरता है।

सत्र-7

स्वच्छता: साफ-सफाई के महत्वपूर्ण पहलूओं पर समझ निर्माण

समय: 30 मिनट

प्रतिभागियों में समझ विकासित करने हेतु मौके पर साबुन से हाथ धोन की विधि को प्रदर्शित करें

1. साबुन से हाथ धोना

सामग्री – तीन कांच के गिलास, एक बड़ा डोंगा (बाऊल), साबुन, एक साफ पानी की बल्टी एवं मग

1. प्रतिभागियों में से दो प्रतिभागियों को बुलाएं एवं उनमें से एक से पूछे कि क्या आपके हाथ साफ हैं?
2. इसके बाद उस प्रतिभागी के हाथ पानी से धुलवाने हेतु दूसरे प्रतिभागी को बोले तथा रगड़ कर हाथ धुलवाएं। पानी बाऊल में इकट्ठा करें तथा बाद में इसे एक कांच के गिलास में भर कर रख लें।
3. इसके बाद प्रतिभागी को अपने हाथ साबुन लगाकर अच्छी तरह से धोने को कहें। पानी फिर से एक डोंगा (बाऊल) में एकत्रित करें और एक कांच के गिलास में एकत्रित करें और बाऊल को अच्छी तरह धो लें।
4. इसके बाद फिर से केवल पानी से रगड़ कर हाथ धोएं और पानी को डोंगा (बाऊल) इकट्ठा कर इसे एक कांच के गिलास में भर कर रख लें।
5. अब प्रतिभागियों को एक–एक कर गिलास दिखाएं तथा बताएं कि जो हाथ हमें साफ दिखते हैं वह साफ होते नहीं हैं। हमारे हाथ कई प्रकार की बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं और विषाणुओं से सने रहते है अक्सर ये हमारे हाथ में और नाखूनों में होते हैं लेकिन ये इतने छोटे–छोटे होते है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। भोजन और पानी के जरिए हमारे पेट मे पहुंचने वाले ये रोगाणु एवं विषाणु मोतीझरा (टाइडफाइड), ऑव (डिसेंट्री), कालरा, दस्त (डायरिया), पीलिया (हिपेटायटिस) और पोलियो जैसी संक्रामक बीमारियां लाते हैं जिससे हर वर्ष कई बच्चों की मौत हो जाती है और बार–बार इन बीमारियों से संक्रमित होने से बच्चों का ठीक प्रकार से विकास भी नहीं हो पाता। हम अक्सर अपने हाथों को केवल पानी से धोते हैं या फिर मिट्टी/राख आदि का उपयोग कर लेते हैं लेकिन इससे हमारे हाथों के कीटाणु नहीं मरते। ठीक प्रकार से साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने से लगभग चालीस प्रतिशत संक्रामक बीमारियों को अपने पास आने से रोका जा सकता है।
6. प्रतिभागियों को बताएं कि निम्न अहम मौकों पर साबुन से हाथ धोना आवश्यक है–
   - » भोजन करने से पहले
   - » भोजन पकाने से पहले
   - » भोजन परोसने से पहले
   - » शौच करने के बाद
   - » शिशु का मल धुलाने/साफ करने के बाद

7. प्रतिभागियों बताएं की साबुन से हाथ अच्छी तरह धोने के निम्न 5 चरण हैं:

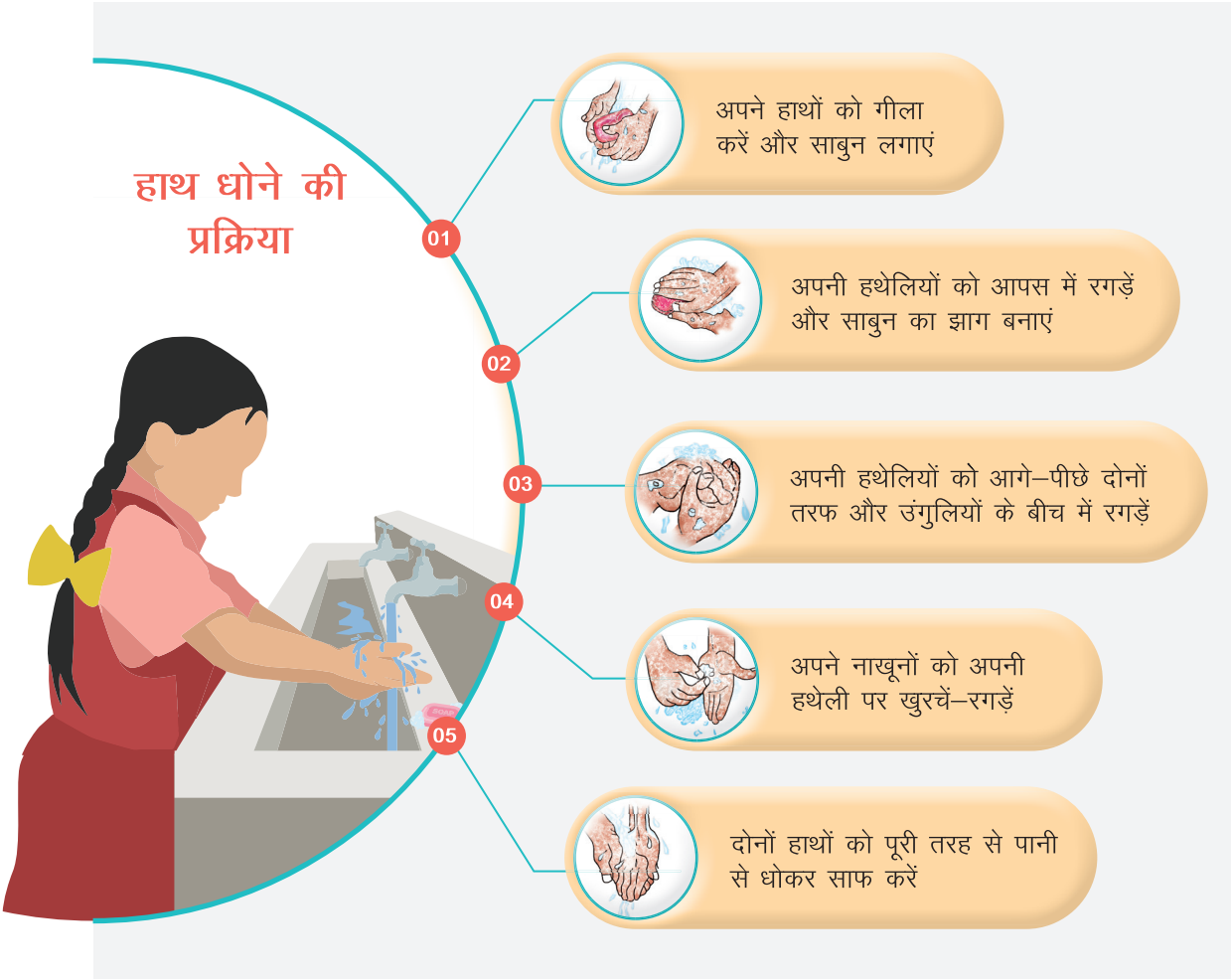

हमारे जल स्रोतों का प्रदूषण एवं पेयजल का दूषित होना, क्यों और कैसे?

हमारे जल स्रातों के आस–पास ही खुले में शौंच के स्थान होते हैं इससे यह प्रदूषण वर्षा काल में और भी बढ़ जाता हैं। यह मल खासतौर से बरसात के दिनों में वर्षा जल के साथ बह जाता है और जल स्रातों को प्रदूषित करता है।

हमें यह भी जांच करनी होगी कि हम पानी को जल स्रोतों से निकालने व रखते समय कहीं इसे प्रदूषित तो नहीं करते, प्रायः हम जिस तरह पानी को इकट्ठा करते है और उसे रखते है वे तरीके भी ऐसे होते हैं जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है, जैसा कि इस चित्र मे दिखाया गया है। पानी को सुरक्षित रखने के लिए न केवल जल स्रोतों का रखरखाव जरूरी है बल्कि पानी को ठीक प्रकार से इकठ्ठा करना और उसे घर में सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

- खुले में शौच पर पूर्णतः प्रतिबंध,
- उपयोग स पहले पेयजल का उपचार,
- पेयजल को रखने व उपयोग करते समय सावधानी।

पहला उपाय तो पूरा गांव मिलकर ही कर सकता है। पूरे गांव के लोग शौचालय बनवाकर इस समस्या का स्थाई निदान कर सकते है।

घर एवं गांव की सामान्य साफ-सफाई

सामग्रीः गंदे गांव का चित्र/साफ गांव का चित्र/फ्लेक्स

गतिविधिः प्रतिभागियों को गंदे गांव का चित्र दिखाएं।

चर्चा के बिंदु

1. यह गांव कैसा है?
2. गांव में गंदगी कहां–कहां है?
3. क्या आप अंदाजा लगा सकते है कि इस गांव में कितना मल प्रतिदिन फैलता होगा?
3. मानव मल में क्या बुराई है?
4. क्या यह गंदगी हमारे पास वापस लौट कर आ रही हैं?
5. क्या इससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है?
6. गांव की इस स्थिति कि लिए ज़िम्मेदार कौन है?

अब प्रतिभागियों को साफ गांव का चित्र दिखाएं

चर्चा के बिंदु–

- यह गांव साफ क्यों है?
- क्या इस गांव में गंदे पानी के निकास की कोई व्यवस्था है?
- क्या इस गांव में गोबर, कचरे के निपटान की कोई व्यवस्था है?
- क्या इस गांव में मानव मल के निपटान की कोई व्यवस्था है?

विषय वस्तु–

गांव में गंदगी के मुख्य तीन कारण है–

- खुले में शौच।
- गंदे पानी के निकास की उचित निकास व्यवस्था न होना।
- गोबर, कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था न होना।

खुले में शौच से अनेक संक्रामक बीमारियां फैलती है। व्यक्ति में मल में बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु मौजूद रहते है – जिससे पेट के कीड़े, पेचिश, अतिसार, हैजा, टायफाइड, पीलिया, पोलियो जैसी बीमारियां फैलती हैं।

स्वच्छता के घटक

उद्देश्य – सभी प्रतिभागी स्वच्छता के सात घटकों के बारे में जान पाएंगे।

घटक: 1 स्वच्छ शौचालय

स्वच्छ पर्यावरण के लिए मानव मल का उचित निपटान अत्यंत आवश्यक है। मल के उचित निपटान नहीं होने से या खुले में मल त्याग करने से मल के द्वारा पेयजल के स्त्रोत गंदे होते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां जैस उल्टी, दस्त आदि फैलती है। खुले में त्याग किया हुआ मल विभिन्न माध्यमों जैसे पानी, मक्खी, हांथों, जानवरों के पैरों आदि से हमारे भोजन में मिलता है और उन्हे दूषित करता है। खुले में मल त्याग करने से महिलाओं के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है, साथ ही बरसात आदि में खुले में शौच जाने जैसी परेशानी होती है। इन सब को देखते हुए यह जरूरी है कि हर घर में एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो और साथ ही उसके ग्राम के सभी लागे उसका उपयोग करते हों। ग्राम में कोई भी शौच के लिए बाहर न जाता हो। शौचालय निर्माण में कार्य कर रहे कारीगरों, मेड एवं स्वच्छता दूत को ध्यान रखना चाहिए की हितग्राही के घर में मानक अनुसार गुणवत्ता वाले शौचालय का निर्माण हो जिसे पूरा परिवार बिना किसी समस्या के उपयोग कर सके।

खुले में शौच न करें

शौचालय का प्रयोग करें

इन महिलाओं को देखिए जो बड़े सवेरे या शाम को देर से शौच के लिए दूर तक जाती हैं, क्योंकि इनके घरों में शौच की सुविधा नहीं है।

घटक : 2 व्यक्तिगत स्वच्छता

साफ रहना कोई कठिन काम नहीं है। गरीबी में भी साफ और स्वच्छ रहा जा सकता है क्योंकि इसके लिये सिर्फ अच्छी आदतें डालनी होती है। सफाई की आदत बीमारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत निम्नानुसार मुख्य व्यवहार आतें है

1. मुख्य अवसरों पर साबुन से हाथ धुलाई।
2. नियमित स्नान करना।
3. नियमित दांत साफ करना।

1. मुख्य अवसरों पर साबुन से हाथ धुलाई

हमारे हाथों में कई प्रकार के कीटाणु चिपके रहते है जोकि नग्न आंखो से दिखाई नहीं देते हैं। जब हम भोजन करतें है तो वे कीटाणु भोजन के साथ मिलकर हमारे पेट में चले जाते हैं। साथ ही मल के कीटाणु भी केवल पानी और मिट्टी से साफ नहीं होते हैं, इसलिए अहम मौकों पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना बहुत जरूरी है।

- साबुन से हाथ धोना आवश्यक है
- खाना खाने एवं बच्चों को खिलाने से पहले
- बच्चों का मल साफ करने के बाद
- खाना पकाने से पहले
- शौच के बाद

अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने के पांच चरण

- अपने हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं
- अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर साबुन का झाग बनाएं
- अपनी हथेलियों को आगे–पीछे दोनो तरफ और अंगुलियों के बीच में भी रगड़े
- अपने नाखूनों को अपनी हथेली पर खुरचें–रगड़ें
- दोनों हाथों को पूरी तरह से पानी से धोकर साफ करें

घटक : 3 साफ पीने का पानी

एक ही स्रोत जैसे नदी/तालाब में नहाने, पशुओं को नहलाने, कपड़े धोने, स्रोत के पास शौच करने और पीने का पानी लेने से रोगाणु युक्त मल कई तरीकों जैसे हवा, वर्षा, पशुओं या मनुष्यों के पैरों से नदी/तालाब के पास पहुंच जाता है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती है।

क्या करें

- सुरक्षित स्रोत जैसे हैण्डपंप, नल या बंद कुंओं आदि का पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल करें।
- पानी निकालते समय बर्तन में हाथ न डुबाएं। पानी निकालने के लिए डंडी वाले लोटे का ही प्रयोग करें।
- पीने के पानी के बर्तन को हमेशा ढ़क कर जमीन से ऊपर रखें।

क्या न करें

- तालाब, नदी और खुले कुएं का पानी सुरक्षित नहीं होता है। इसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं करें।
- पानी भरने वाले बर्तन को गंदा न रखें तथा खुला न छोड़े। पानी निकालते समय बर्तन में हाथ न डुबाएं।

रूके हुए पानी मे मच्छर पैदा हो जाते हैं जिससे मलेरिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। अतः घर से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी अथवा प्रबंधन की व्यवस्था करना ज़रूरी है।

गंदे पानी की निकासी के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर पानी को उसमें छोड़ना सबसे आसान एवं अच्छा उपाय है।

सोख्ता गढ्ढा बनाने की विधि

- एक चार फीट चौड़ा वर्गाकार अथवा 4 फीट व्यास का गोल एवं चार फीट गहरा गढ्ढा खोदें।
- पहले 1.5 फीट तक उसे बड़े पत्थरों से भरें।
- उसके बाद 1.5 फीट तक थोड़े छोटे पत्थरों से भरें और बाकी 1 फीट को छोटे पत्थरों से भरें।

घटक: 4 गंदे पानी की निकासी

अपशिष्ट जल का प्रशोधन

अपशिष्ट जल के संपर्क सें होने वाले खतरों की रोकथाम के लिए स्वच्छ जीवन के लिए अपशिष्ट जल का उचित प्रकार से प्रशोधन आवश्यक है। ये खतरे भौतिक, जैविक या रासायनिक साधनों से बीमारियां उत्पन्न करते हैं।

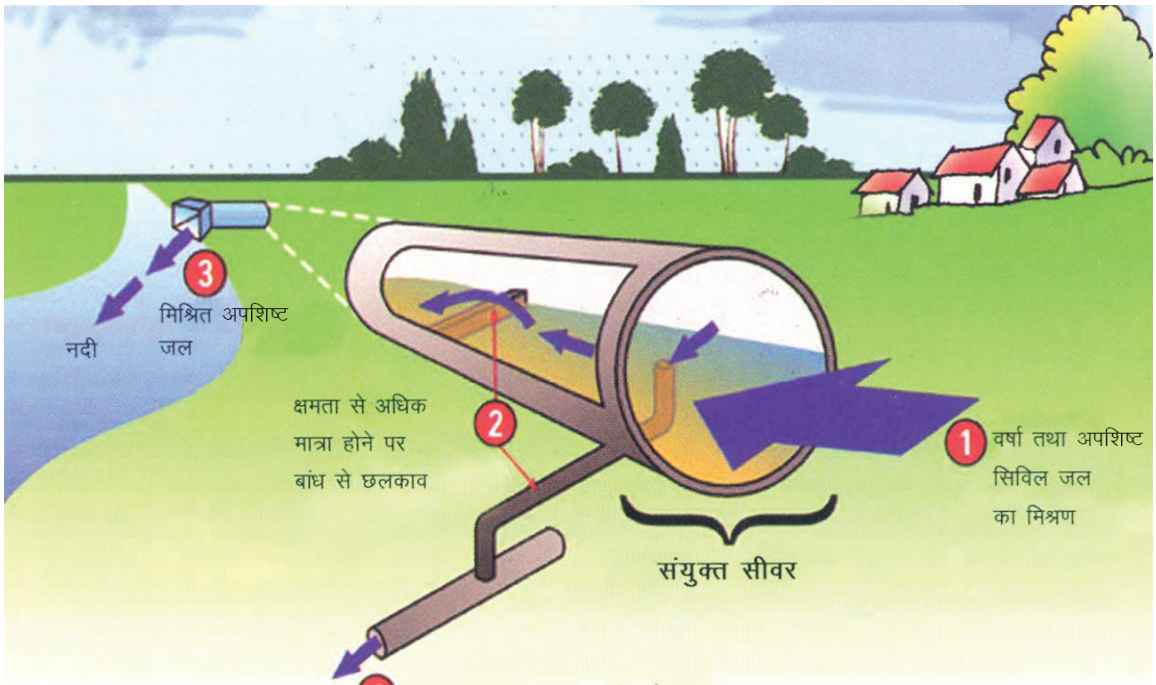

अपशिष्ट जल का जमाव

- सामान्यतः जहां अपशिष्ट जल का संग्रहण ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां कई नज़दीकी स्रोतों से पानी एकत्रित होता हौ, उस स्थान से अपशिष्ट जल को संसोधन (ट्रीटमेंट) के लिए अन्यत्र पहुंचाया जाता है।
- विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट जल अलग–अलग निकास नालियों द्वारा एक संयुक्त सीवर लाइन से जोड़ दिया जाता है।

अपशिष्ट जल के नाले खुले रहते हैं। सुविधा तथा ज़रूरत के अनुसार विभिन्न स्थलों पर जंक्शन बॉक्स, खाइयां और लिफ्ट बॉक्स निर्मित किए जाते हैं जहां से इन्हें संसाधित करने के लिए ट्रीटमेंट संयंत्र निर्मित किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर अलग–अलग जगह से अपशिष्ट जल एकत्र कर मुख्य सीवर लाईन में जाता है।

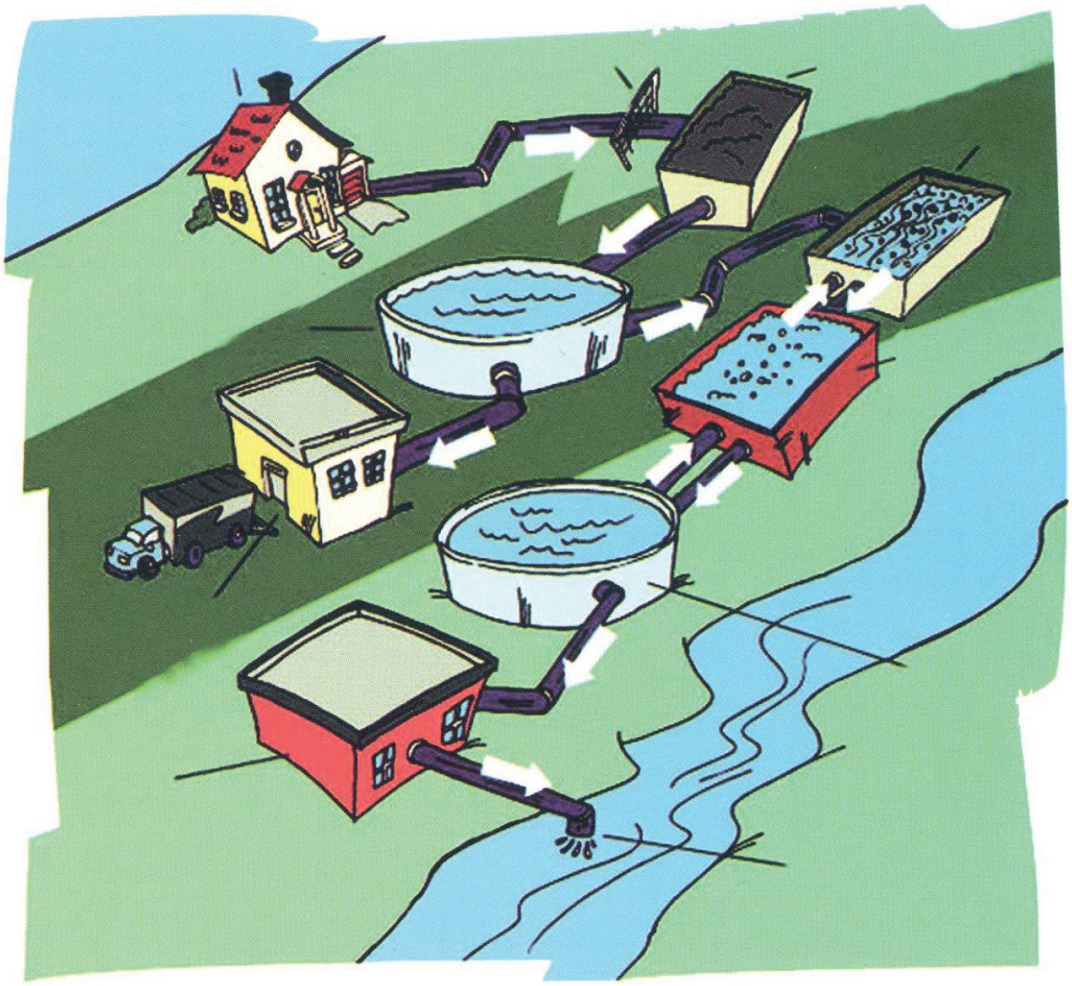

अपशिष्ट जल का प्रशोधन

- अपशिष्ट जल का प्रशोधन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा घरेलू तथा अन्य साधनों से एकत्रित अपशिष्ट जल से प्रदूषणकारी पदार्थों को पृथक किया जाता है।
- इसमें भौतिक, जैविक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा सभी प्रकार के कीटाणुओं तथा हानिकारक घटकों को निष्कासित या नष्ट कर दिया जाता है।
- इसका उद्देश्य है अपशिष्ट जल को शुध्द करके वातावरण में पुनः उपयोग के योग्य बनाना।

गंदे पानी का पुनः उपयोग

नगरी क्षेत्र के पानी का पुनः उपयोग–सार्वजनिक पार्क की सिंचाई, विद्यालय के प्रांगणों की सफाई, सड़कों और घरों की सफाई, आग प्रतिरोधक साधन, व्यवसायिक और औद्योगिक भवनों के शौचालय में उपयोग किया जा सकता हैं।

कृषि के क्षेत्र में पुनः उपयोग–न खाने वाले अनाज की सिंचाई, जैसे पशुचारा और पशु चराने वाले स्थान पर सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। उच्च तकनीक से प्रसाधित पानी को खाद्यानों की सिंचाई में प्रयुक्त किया जा सकता है।

मनोरंजन स्थलों के लिए–तालाब या झील में।

वातावरण में पुनः उपयोग–कृत्रिम धारा, प्राकृतिक आर्द्र भूमि और प्रवाह बनाने के लिए।

औद्योगिक पुनः उपयोग–संसाधन संयंत्र और कूलिंग टावर के उपयोग के लिए।

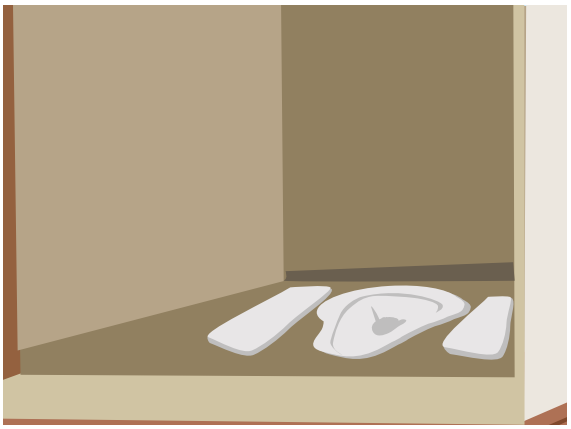

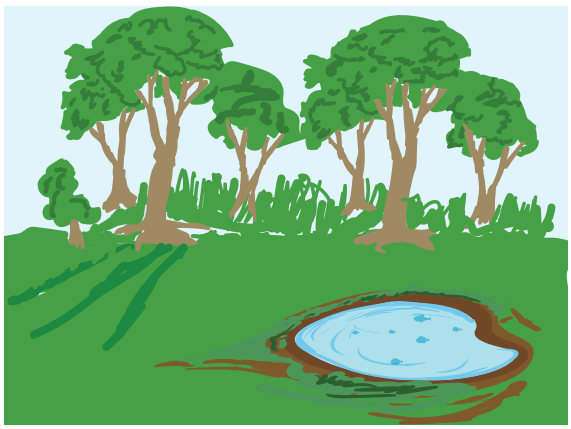

घटक : 5 घरेलू एवं खान पान स्वच्छता

घर में हवा और धूप आने के लिए खिड़कियां रखें।

रोजाना फर्श पर झाड़ू लगाकर कूड़े को कूड़ेदान में फेंके इससे घर में मक्खी, तिलचट्टे और चूहे आदि के माध्यम से बीमारी नही फैलेंगी।

कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों, फलों आदि के साथ–साथ पकाई जाने वाली सब्जियों को भी ठीक तरह से धोना जरूरी है।

खेत में शौच करने से मल से रोग पैदा करने वाले जीवाणु सब्जियों में पहुंच जाते है और सब्जियां दूषित हो जाती है।

दूषित सब्जियों से रोग पैदा करने वाले जीवाणु इतने छोटे होते है कि उन्हे आंख से नहीं देखा जा सकता है।

ऐसी सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं बिना कच्चा खा लेने से मल से पैदा होने वाले रोगाणु पेट में पहुंच जाते है।

घटक : 6 कूड़े कचरे का निपटान

घर से निकलने वाले कूड़े कचरे एवं पशुओं के अनुपयोगी चारे और मल–मूत्र का सुरक्षित निपटान करने से हमारे आसपास व गांव में गंदगी नहीं फैलती है और साथ ही इससे बेहतर खाद भी बनाई जा सकती है। जिसका उपयोग हम अपने खेतों में जैविक खाद के रूप में कर सकते हैं।

क्या करें

- घर के सूखे कूड़े कचरे और गीले कचरे को दो अलग अलग कूड़ेदान में एकत्रित करें। इसे सड़क और नालियों में एवं इधर–उधर ना फेंके।
- कचरे को गांव से दूर एक गढ्ढे/नाडेप/भू–नापेड में इकट्ठा करें तथा खाद बनाएं।
- यदि ग्राम में कचरा इकट्ठा करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कोई योजना है तो कूड़ा एकत्रित करने वाले को अपना कूड़ा कचरा दें।
- यदि हो सके तो इस कचरे का उपयोग घर पर ही वर्मी कम्पोस्ट पिट (केचुआ खाद) बनाकर इसे खाद बनाने में करें जिससे कि आपको खेतों के लिये रासायनिक खाद का उपयोग कम करना पड़े।

सत्र-8

सुरक्षित पेयजल से संबंधित जानकारियां

समय: 15 मिनट

अस्वच्छता का अहसास - जल आपूर्ति व्यवस्था मानचित्र एंव मल मानचित्रण

1. समुदाय द्वारा जल–आपूर्ति मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए।
2. जल–आपूर्ति एवं मल मानचित्र का एक साथ अवलोकन कर जल स्त्रोतों के आस–पास की गंदगी को विशेष रुप से दर्शाया जाना चाहिए।
3. जल स्त्रोत से जल लाने एवं उसे ग्रहण करने; खाना बनाने एवं पीने हेतु तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया में जल दूषित होने के संभावित खतरों के बारे में लोगों को बताना हेतु गतिविधि प्रदर्शित करना
   - » जैसे हाथों में लाल रंग लगाकर जल लाना एवं जल ग्रहण करना।
   - » हाथों में धूल लगाकर कांच के गिलास में धोना और लोगों से वही पानी पीने को कहना।

जल स्त्रोतों के स्थायित्व के बारे में जागरुकता

12 माह में ग्राम के समस्त जल स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले जल की मात्रा में आने वाला अंतर जैसे गर्मी के मौसम में जल स्तर में गिरावट – जल उपलब्धता का मौसमी कैलेंडर तैयार करना

जल स्त्रोतों का स्थायित्व एक बहुत ही विशेषीकृत प्रक्रिया है। इस बारे में लोगों को जागरुक करने एवं आवश्यक उपाय जैसे वर्षा जल संचय संरचनाओं, चेक–डेम, स्टॉप–डेम और रिचार्ज शेफ्ट आदि का निर्माण हेतु

एक विशेष योजना तैयार की जाती है, जिसे हम ग्राम जल सुरक्षा योजना कहते हैं।

अस्वच्छता का प्रभाव

1. अस्वच्छ जल के उपभोग एंव उसके सम्पर्क में आने से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को बताना चाहिए।
2. जल जनित बीमारियों के कारण मानव दिवस और आय की हानि के बारे में बताया जाना चाहिए।
3. जल जनित बीमारियों के कारण बच्चों के विकास विशेषकर मस्तिष्क के विकास में आने वाले अवरोध के बारे में बताया जाना चाहिए।

4. गर्मी के मौसम या उस समय जब वर्ष में जल की उपलब्धता न्यूनतम होती है, तब जल के अभाव में स्वच्छता न होने के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को बताना चाहिए।

क्या करें?

जल उपयोग संबंधी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु उन्हें निम्न बातें बताई जानी चाहिएः–

जल स्त्रोत

- समुदाय के समस्त बच्चों, महिलाओं और पुरुषों द्वारा पीने एवं भोजन तैयार करने हेतु स्वच्छ एवं सुरक्षित जल का उपयोग करना चाहिए।
- व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्यों जैसे स्नान करने, घर की स्वच्छता एवं कपड़े धोने हेतु पर्याप्त जल का उपयोग करना चाहिए।
- जल का सदुपयोग किया जाना चाहिए एवं उसे गैर–जरुरी कार्यों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- जल स्त्रोतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं उनका संरक्षण करना चाहिए।
- जल स्त्रोतों को निकट स्थित शौचालयों, गंदे पानी की नालियों, मवेशियों या कृषि रसायनों जैसे खाद/उर्वरकों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से बचाना चाहिए।

जल उपचार

- यदि आवश्यक हो तो जल स्त्रोतों पर सामान्य शुद्धिकरण जैसे क्लोरीकरण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- यदि आवश्यक हो तो ठोस अपशिष्ट पदार्थों या कीड़ो आदि को हटाने के लिए पानी को छानना चाहिए।

जल संग्रहण

- जल को सदैव स्वच्छ बर्तनों में रखना चाहिए।
- जल को हाथ या अन्य गंदे सामग्री के सम्पर्क में आने से रोकना चाहिए।
- पीने एवं अन्य कार्यों हेतु जरुरी जल को अलग–अलग बर्तनों में रखना चाहिए।

पेयजल

- पीने हेतु बर्तन जैसे मटका/बाल्टी आदि से जल इस प्रकार निकालना चाहिए कि उसके प्रदूषित होने की संभावना कम से कम हो।

जल उपयोग

- व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता हेतु पर्याप्त जल, न्यूनतम 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिए।

खाद्य पदार्थ

- खाना पकाने और ग्रहण करने से पहले हाथों को धोना चाहिए।
- सब्जियों एवं फलों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए और खाद्य सामग्री को ढ़ककर रखना चाहिए।
- खाना पकाने एवं रखने के बर्तनों को स्वच्छ जल से धोकर स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए।

सत्र-9

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व जल जीवन मिशन की रूप रेखा एवं प्रावधान

समय: 30 मिनट

राष्ट्रीय लक्ष्य

प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को स्थाई रुप से पीने, भोजन पकाने और अन्य घरेलू आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। (40 एवं 55 ली./व्यक्ति/दिन)

इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को संतुष्ट करते हुए सहज रुप से हमेशा तथा हर परिस्थिति में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

जल–आपूर्ति के आधारभूत सिद्धांत

- जल एक सार्वजनिक वस्तु है।
- जल की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करना शासन का दायित्व है।
- समावेशी तरीके से सुरक्षित एवं पर्याप्त जल की उपलब्धता।
- जल की मांग का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए।
- जल का मानव–आजीविका और समुदाय स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा उसके महत्व को समझा जाना चाहिए।
- ग्राम में जलापूर्ति हेतु पी.एच.ई.डी. और ग्राम पंचायत के मध्य साझेदारी होना चाहिए।
- उपभोक्ता देयक

जल प्रदाय सेवा के विभिन्न चरण

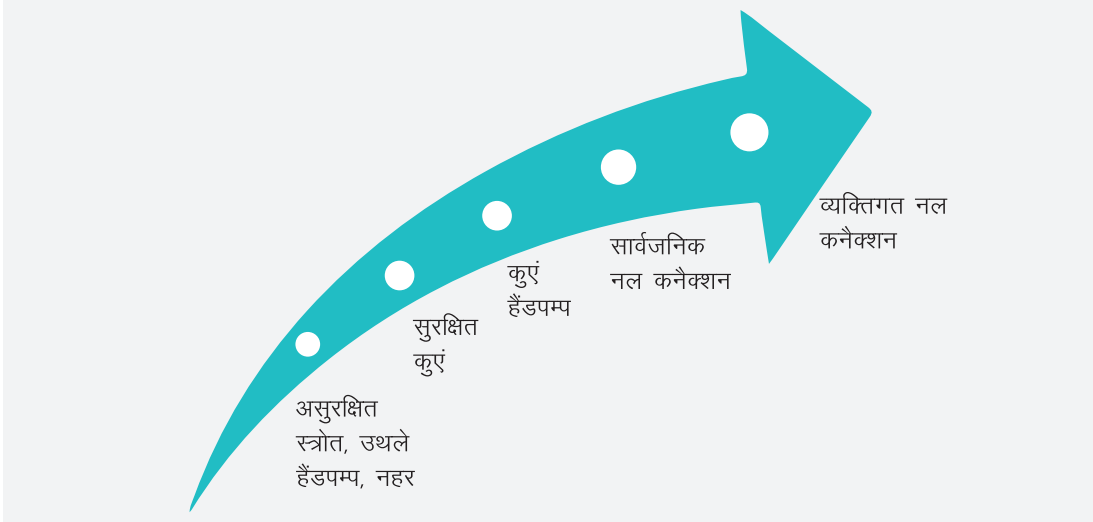

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के घटक

घटक	उद्देश्य	आवंटन	अंशदान
पेयजल उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति विहीन क्षेत्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना	47 प्रतिशत	90:10 (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के हेतु)
जल गुणवत्ता	जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।	20 प्रतिशत	
संचालन एवं रखरखाव	पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु राशि की व्यवस्था।	15 प्रतिशत (अधिकतम)	50:50
			(अन्य राज्यों हेतु)
स्थायित्व	स्थानीय स्तर पर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना।	10 प्रतिशत (अधिकतम)	100:0
सहायक गतिविधियाँ	जैसे जल एवं स्वच्छता संगठन, बी.आर. सी., आई.ई.सी., एम.आई.एस., आर. एण्ड डी. आदि	5 प्रतिशत	100:0
जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण	बसाहटों में जल गुणवत्ता की निगरानी एवं राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु	3 प्रतिशत	100:0
कुल		**100 प्रतिशत**	

जल जीवन मिशन की पृष्ठभूमि

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिये राज्यों को केन्द्र सरकार की सहायता 1972 में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत के साथ हुई। 2009 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) कर दिया गया, जो केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयरिंग के साथ एक प्रायोजित योजना है। NRDWP का मुख्य उद्देश्य ''सभी घरों को परिसर के अन्दर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच और उपयोग करने में सक्षम बनाना था''। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाते हुए, 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करनें का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन अब, जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक लक्ष्य को प्राप्त करनें की योजना बनाई गई है।

पेयजल आपूर्ति विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 तक, देश में कुल 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 18.33 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों यानी 3.27 करोड़ परिवारों के पास पाईप से पानी का कनैक्शन उपलब्ध था।

जल जीवन मिशन (JJM):

भारत सरकार ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार यानी हर घर नल से जल (HGNSJJ) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के लिये चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल (NRDWP) को जल जीवन मिशन (JJM) में पुनर्गठित और सम्मिलित किया है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों / योजनाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है:

- प्रत्येक घर में पानी के नल के कनैक्शन के लिये गांव में जलापूर्ति बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- नये जल स्रोतों का विकास व मौजूदा स्रोतों का संवर्धन।
- पानी का स्थानांतरण (बहु–ग्राम योजना; जहां स्थानीय जल स्रोतों में मात्रा व गुणवत्ता से जुड़ी समस्या है।)
- पानी को पीने योग्य बनाने के लिये पानी के उपचार से हेतु तकनीकी हस्तक्षेप (जहाँ पानी की गुणवत्ता एक मुद्दा है, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।)
- FHTC प्रदान करने और सेवा स्तर बढ़ाने के लिये पूर्ण और चालू पाईप जलापूर्ति योजनाओं की रेट्रोफिटिंग।
- धूसर जल (ग्रे वॉटर) का प्रबंधन।
- विभिन्न हितधारकों की क्षमता बृद्धि और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिये गतिविधियों का समर्थन करना।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सेवा स्तर की डिलीवरी:

जल जीवन मिशन का लक्ष्य 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (LPCD) की दर से सेवा स्तर के साथ हर घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन प्रदान करना

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संस्थागत तंत्र:

1	राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
2	राज्य स्तर	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)
3	ज़िला स्तर	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)
4	ग्राम पंचायत स्तर	पानी समिति / ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) / उपयोगकर्ता समूह

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राशि आवंटन के मानदंड:

राज्य की राशि के बीच, राशि के अनुमानित आवंटन को 20 प्रतिशत वेटेज के साथ अतिरिक्त मानदंड के रूप में बचे हुए घरेलू कनैक्शनों की संख्या को शामिल करके संशोधित किया गया है और पानी की गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामीण आबादी को 10 प्रतिशत वेटेज दिया गया है, इस प्रकार गुणवत्ता प्रभावित राज्यों के लिये अधिक फंड की अनुमति दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत धन का उपयोग गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिये कर सकते है।

मापदंड	राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के अनुसार	जल जीवन मिशन के अनुसार
ग्रामीण जनसंख्या (पिछली जनगणना के अनुसार)	40%	30%
ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (पिछली जनगणना के अनुसार)	10%	10%
ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी और विशेष श्रेणी के पहरणी राज्यों के अंतर्गत आने वाले राज्य	40%	30%
भारी धातु सहित रासायनिक संदूषको से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या (IMIS के अनुसार) (पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक)	10%	10%
शेष व्यक्तिगत घरेलू कनैक्शन के लिये वेटेज प्रदान किया जाना है।	Nil	20%

सत्र-10

जल सुरक्षा योजना का निर्माण – वॉटर सिक्योरिटी प्लान

समय: 30 मिनट

ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करने के उद्देश्य

- ग्राम जल सुरक्षा संबंधी कार्यों और उन्हें सम्पादित कर सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना, वित्तीय विकल्पों का आंकलन करना एवं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित करना।
- ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की क्षमता वृद्धि करना।
- ग्राम जल व्यवस्था से संबंधित विषयों जैसे जल बजट, स्त्रोत स्थायित्व, सेवा सुधार, जल गुणवत्ता, संचालन/संधारण, जल संरक्षण और जल उपयोग नियंत्रण आदि का नियोजन करना।
- केन्द्र एवं राज्य शासन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं बी.आर.सी. के साथ समन्वय के द्वारा इस प्रकार ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना, ताकि उसमें समुदाय की सहभागिता, योजना की तकनीकी, वित्तीय और परिचालन संबंधी व्यवहारिकता सुनिश्चित हो सके।
- पी.एच.ई.डी. के साथ समन्वय हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की क्षमता वृद्धि करना।

ग्राम जल सुरक्षा योजना के घटक

- स्त्रोत का स्थायित्व
- जल बजट का आंकलन
- जल आपूर्ति
- स्वच्छता
- स्थानीय स्वशासन
- जलकर एकत्रीकरण
- फसल जल उपयोग प्रबंधन
- तंत्र स्थायित्व

ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करने के दौरान गतिविधियां

क. गतिविधि का नाम

- ग्राम सभा बैठक में चर्चा
- पारिवारिक सर्वेक्षण
- पी.आर.ए. के द्वारा ग्राम जल संसाधन मानचित्र तैयार करना
- ग्राम सभा में जल बजट तैयार करना
- जल गुणवत्ता परीक्षण
- वार्ड वार बैठक
- महिला समूह के साथ बैठक
- कार्य–योजना निर्माण
- ग्राम जल निगरानी कार्य–योजना तैयार करना
- ग्राम जल सुरक्षा पर जन–जागरुकता हेतु गतिविधियां

ग्राम जल सुरक्षा तैयार करने हेतु आवश्यक प्रपत्र

- जल बजट
- जल स्त्रोत योजना
- जल सुरक्षा योजना
- संचालन/संधारण योजना
- सेवा सुधार योजना

सत्र-11

जल आपूर्ति व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव

समय: 60 मिनट

संचालन एवं रखरखाव

जल आपूर्ति व्यवस्था/तंत्र का संचालन एवं रखरखाव किस प्रकार करें?

महत्वपूर्ण संचालन कार्य

व्यवस्था का हिस्सा	संबंधित कार्य
हेडवर्क	
पम्प	
जल उपचार तंत्र	
संग्रहण एवं वितरण व्यवस्था	
उपभोक्ता सेवाएं	
जल सुरक्षा	
कनैक्शन	
संचालक	

सामान्य तौर पर उपरोक्त समस्त कार्य संचालक द्वारा किए जाने चाहिए अन्यथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को यह कार्य करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त समिति को निम्न कार्य और करना चाहिए:

- सामग्री क्रय
- ठेकेदार का अनुश्रवण
- समय–समय पर जल गुणवत्ता परीक्षण करना
- नए कनैक्शन
- कनैक्शन काटना
- वितरण विस्तार
- जल कर एकत्रीकरण

- ठेकेदारों, संचालक और हैंडपम्प सुधारकों को भुगतान
- खाता संचालन
- ग्राम पंचायत को रिपोर्ट करना
- संधारण हेतु वित्त की व्यवस्था करना

वित्त का प्रबंधन कैसे करें?

- पृथक बैंक खाता खोलना और अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त संचालन
- समुदाय से जलकर की प्राप्ति, घरेलू कनैक्शन, शासन से प्राप्त राशि को बैंक खाते में जमा करना।
- समस्त जल देयक और कनैक्शन देयक 24 घंटे के भीतर खाते में जमा हो जाना चाहिए।
- कोषाध्यक्ष को कैश बुक का संधारण करना चाहिए।
- समिति का खाता सामाजिक और वित्तीय अंकेक्षण के लिए सदैव खुला होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण किया जाना चाहिए।

वार्षिक बजट व्यय

संचालन एवं संधारण हेतु समिति को वार्षिक बजट बनाना चाहिए, जिसमें निम्न मदों में व्यय सम्मिलित होना चाहिए:

मद	व्यय घटक
बिजली	न्यूनतम शुल्क, उपभोग शुल्क, कर
सामान्य सुधार / मरम्मत	हैडवर्क, – पम्प, – जल उपचार सिस्टम, – संग्रहण एवं वितरण व्यवस्था उपभोक्ता सेवाएं, – जल सुरक्षा, – कनैक्शन
वेतन / मजदूरी	संचालक, – हैंडपम्प मैकेनिक, – पम्प संचालक, – शुल्क एकत्रकर्ता वॉल्वमैन, – ठेका मजदूर, – अन्य
कन्यूमेबल्स	– सुधारक यंत्र, – केमिकल, – स्टेशनरी, परिवहन, टेलीफोन
जल गुणवत्ता	प्रयोगशाला
प्रशिक्षण	– संचालक के लिए – समिति सदस्यों के लिए
आई.ई.सी.	जन–जागरुकता गतिविधियाँ

आय एवं उपभोक्ता शुल्क

प्रमुख आवश्यकताएं	उपलब्ध वित्त
नई योजना	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.
स्त्रोत स्थायित्व	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., एन.आर.ई.जी.एस., जलग्रहण विकास
संचालन एवं संधारण	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., वित्त आयोग, उपभोक्ता शुल्क
जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल की उपलब्धता	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.
जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.
प्रशिक्षण एवं आई.ई.सी.	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.

अधिसंरचनाओं और परिसम्पित्तियों का प्रबंध कैसे करें?

- लेजर का संधारण जिसमें जल–आपूर्ति व्यवस्था के समस्त घटकों की जानकारी और उनकी आयु उपलब्ध हो।
- समय–सीमा का निर्धारण, ताकि खराब होने से पहले उन घटकों को बदला जा सके।

सत्र-12

पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका

समय: 60 मिनट

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात सभी प्रतिभागी अपने–अपने दायित्व एवं कर्तव्य के संबंध में जान पाएंगे।

ग्राम पंचायत/सरपंच के कर्तव्य:

1. कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसी के दायित्व/कर्तव्य स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन।
2. ग्राम सभा स्वस्थ एवं तर्दथ समिति को सहयोग देकर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
3. हितग्राहियों को सीमेन्ट, रेत, ईट, गिट्टी एवं सामग्री उपलब्ध कराना।
4. खुले में शौच मुक्त ग्राम/ग्राम पंचायत (ODF) को प्रमाण पत्र जिला पंचायत/जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।
5. स्वच्छता दूत/प्रेरकों का चयन करना एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिये स्वच्छता दूत द्वारा किये गये प्रयास की नियमित समीक्षा करना।
6. ग्राम पंचायत (स्वच्छता सफाई तथा बदबू का निवारण तथा उपसमन) नियम 1999 के प्रावधानो का प्रयोग करना।
7. हितग्राहियों के निर्मित शौचालयो के निर्माण एवं उपयोग उपरान्त फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर प्रोत्साहन राशि हितग्राही के खाते में जमा करना।
8. स्वच्छता चौपाल/महिला मर्यादा चौपाल का आयोजन करना।

ग्राम पंचायत सचिव के कर्तव्य

1. बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल के शेष शौचालय विहीन परिवारों की सूची तैयार करना।
2. शौचालय निर्माण एवं उपयोग होने पर प्रोत्साहन राशि का हितग्राहियों को एक सप्ताह में प्रोत्साहन राशि का बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करना।
3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम में कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित करना, अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करना।

4. निर्मित शौचालय को स्वच्छता पंजी में दर्ज करना।
5. राज मिस्त्री का चयन/उनका प्रशिक्षण तथा उनका नाम राज पंजी में दर्ज करना।
6. ग्राम स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की नियमित बैठक आयोजित करना।
7. हितग्राहियों के निर्मित शौचालयो के निर्माण एवं उपयोग उपरान्त फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर प्रोत्साहन राशि हितग्राही के खाते में जमा कराना।
8. निर्माणाधीन/निर्मित शौचालय का नियमित निरीक्षण करना।
9. स्वच्छता दूत/प्रेरक द्वारा किये गये प्रयास से निर्मित एवं उपयोग होने पर प्रेरक राशि की अनुशंसा सहित सूची जनपद पंचायत में जमा करना व उन्हें प्रेरक राशि दिलाना।
10. निर्मित शौचालयों के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जन चेतना/निगरानी दल गठित करना।
11. निर्मल बहनो /स्वच्छता सैनिक का चयन करना एवं उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

स्वच्छाग्राही के दायित्व व कर्तव्यः

1. ग्राम के समस्त निवासरत परिवारों में बीपीएल/एपीएल लाभार्थियों की पृथक–पृथक सूची तैयार करना।
2. निर्मित/शेष शौचालय वाले बीपीएल/एपीएल लाभार्थियों की पृथक–पृथक सूची तैयार करना।
3. शेष शौचालय रहित बीपीएल/एपीएल परिवारों के घरों के सदस्यों को शौचालय निर्माण व उपयोग के लिये प्रेरित करना।
4. शौचालय निर्माण के पश्चात नियमित गृह भ्रमण करना व शौचालय उपयोग के लिये प्रेरित करना।
5. कोई भी परिवार खुले में शौच के लिये न जाए। इसके लिए ग्राम के नियम बनाना व निगरानी दल गठित करना।
6. ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किये जाने वाले ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजान बनाने में ग्राम पंचायत का सहयोग करना

गतिविधि	लक्षित समूह
अपनी जिम्मेदारी के परिवारों के साथ नियमित भेंट एवं चर्चा	▶ घर के मुखिया ▶ घर के सदस्य ▶ घर की सभी महिलाएं व बच्चे
गांव में स्वच्छता व्यवहारों में बदलाव हेतु सामुदायिक बैठको, माहिला समूहों की बैठकों, क्रियान्वयन योजना की बैठक, जन जाग्रति कार्यक्रम आदि का संचालन करना।	समस्त ग्रामवासी
सामाजिक गति शीलता की गतिविधियों के आयोजन में सहयोग करना। जैसे– ट्रिगरिंग प्रक्रिया, नुक्कड़ नाटक, फिल्म प्रदर्शन की तैयारी एवं ज्यादा से ज्यादा लोगो की भागीदारी सुनिश्चित करना।	समस्त ग्रामवासी
शालाओं एवं आंगनवाडियों में भ्रमण कर बच्चों को स्वच्छता शिक्षा प्रदान करना।	शालाओं के छात्र छात्राएं आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चे शिक्षक एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता

गतिविधि	लक्षित समूह
ग्राम के प्रत्येक परिवार के बारे में स्वच्छता संबंधी जानकारी एकत्रित करना।	▶ ग्रामवासी ▶ सरपंच, ग्रामसेवक, मेड एवं रोज़गार सेवक
ग्राम के मुख्य स्थानों पर प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रदर्शन करना	समस्त ग्रामवासी
ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक, मेड के साथ समन्वय स्थापित कर हित ग्रहियों कों प्रोत्साहन राशि प्रदान कराना।	सरपंच, सचिव, मेट एवं रोजगार सेवक
ग्राम के जमीनी कार्यकर्ताओं जैसे–आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं शिक्षक आदि के साथ समन्वय स्थापित कर शाला, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं परिवार स्तर पर स्वच्छता की गतिविधियों का संचालन करना।	ज़मीनी कार्यकर्ता

शिक्षक की भूमिका

1. विद्यार्थियों में स्वच्छता संबंधी समझ एवं आदतों का विकास करना।
2. बाल संसद का अनिवार्य गठन कर उसे सक्रीय बनाना एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षित स्वच्छता से जुडे कार्यो के लिये प्रोत्साहित करना।
3. सामुदायिक गतिशीलता के लिये स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करना।
4. स्वास्थ्य परीक्षण एव उससे संबंधित विवरण को संधारित करने में सहयोग करना।
5. विभिन्न दुर्घटनाओं के दौरान प्राथमिक उपचार की व्यवस्था एवं बीमार बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजनें की व्यवस्था करना।
6. शाला के स्वच्छ पेयजल का रखरखाव कर सभी छात्र छात्राओं को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. स्कूल प्रांगण को हरा–भरा करने के लिये पौधारोपण, उनकी सुरक्षा एवं विकास के लिये छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना।
8. जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का नियमानुसार निर्माण, स्थान चयन एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
9. बच्चों द्वारा जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग एवं उसके साथ रखरखाव को भी सुनिश्चित करना।
10. शाला शौचालयों की नियमित साफ सफाई उसके प्रबंधन समिति के सहयोग से शाला आकस्मिक निधि एवं अन्य योजनाएं जैसे– 15वां वित्त/ नगर निकायों के सहयोग आदि से संयोजन कर नियमित साफ सफाई सुनिश्चित कराना।
11. वयस्क बालिकाओं को सेनेटरी नेपकिन की आवश्यकता पड़नें पर महिला शिक्षक के पास सेनेटरी पैड आवश्यक रूप से उपलब्ध होना।
12. यदि बालिका शौचालय में इंसीनेटर बना है और बालिकाएं इसका उपयेग कर रही हैं तो इंसीनेटर का संचालन एवं इसकी नियमित सफाई, अपने पाठशाला स्वच्छता रखरखाव समय–सारिणी में आवश्यक रूप से शामिल कर उसे नियमित बनाये रखना।
13. ग्राम सभा, पाठशाला प्रबंधन समिति एवं समुदाय में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनकी रोकथाम के

बारे में और घरों में जल एवं स्वच्छता संबंधी सुबिधाओं के रखरखाव के बारे में चर्चा करना।

14. बाल संसद के माध्यम से, समूहों में विद्यालय में स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव की मॉनिटरिंग में क्रमवार योगदान करवाने की सहभागिता सुनिश्चित कराना।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका

- स्वच्छाग्राही/आश–सहयोगी के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता लाने में सहयोग करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर बाल अनुकूल शौचालय उपलब्ध हो।
- शौचालय में साफ–सफाई एवं हाथ धुलाई हेतु पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना आवश्यक है।
- आंगनवाड़ी शौचालयों की बनावट ऐसी हो कि बच्चे उसका उपयोग सुरक्षित ढंग से एवं आसानी से कर सकें।
- साबुन से हाथ धुलाई का स्थान सुविधाजनक स्थान पर बनाएं। पानी की उपलब्धता, सफाई सामग्री, जैसे – ब्रश, फिनाइल, मग, साबुन आदि, की व्यवस्था होना आवश्यक है।
- अंदर की दीवारें एवं फर्श समतल एवं साफ होना चाहिए। फर्श पर फिसलन न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- शौचालय हेतु सीट/पैन बाल सुलभ हो ताकि छोटे बच्चे बिना भय के उपयोग कर सकें।
- हाथ धोने का स्थान एवं सुविधाएं बच्चों की पहुंच में हो।
- पायदान एवं पैन के मध्य उचित दूरी हो।
- दरवाजे के हैंडल बच्चों की पहुंच में हो।
- आंगनवाड़ी शौचालय में कपड़े टांगने के लिए हुक होने चाहिए।
- हवा एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- बच्चों एवं महिलाओं को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें तथा केन्द्र में उपलब्ध शौचालय का उपयोग करवाएं।
- बच्चों को शौच करने के बाद साबुन से हाथ धुलवाएं तथा घर पर भी इस आदत को अपनाने की सीख दें।
- बच्चों के हाथ धोने के सही तरीकों का नियमित अभ्यास करवाएं तथा पोषणाहार देने से पहले नियमित तौर पर बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाएं।
- माताओं को समझाएं कि मल चाहे बच्चे का हो या बड़ों का उसका सही निपटान नहीं होने पर बीमारियां फैलती है। शिशु मल का निपटान शौचालय में ही करें।
- महिलाओं/किशोरी बालिकाओं व समुदाय को खुले मे शौच न करने तथा शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित करें।
- यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पर शौचालय नहीं है तो वे अपने घर मे भी शौलालय बनवाएं और परिवार के सभी सदस्यों को शौचालय उपयोग के लिए प्रेरित करें।
- आंगनवाड़ी केंन्द्र में उपलब्ध शौचालय में पानी की उपलब्धता तथा सफाई का नियमित ध्यान रखा जाए।
- बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता की नियमित रूप से जांच हो।
- बच्चों के नाखूनों की नियमित जांच करें, बढें हुए नाखून काट दें।

- पीने के पानी की स्वच्छता के लिए जरूरी सलाह प्रदान जैसे–
  - » पेयजल स्वच्छता स्रोत (हैंडपंप, नल/ट्यूबवेल) से लेना चाहिए।
  - » पानी भरने से लेकर उपयोग तक सही रखरखाव।
  - » पीने के पानी में हाथ या अंगुलियां नहीं डुबनी चाहिए। पानी निकालने के लिए डंडीदार लोटे का प्रयोग करना चाहिए।
  - » असुरक्षित जल को उबालकर, क्लोरीन टैबलेट से शुद्ध करना चाहिए।
- अंत में प्रश्न पूछने को कहें और एक–एक कर सभी का उत्तर दें।

आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. की भूमिका

- स्वच्छाग्रही/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता लाने में सहयोग करना।
- ग्राम में स्वच्छता संबंधित व्यवहारों में बदलाव लाने हेतु सामुदायिक बैठकों, महिला समूहों की बैठकों, क्रियान्वयन योजना हेतु बैठक, जन जाग्रति कार्यक्रम आदि संचालित करना।
- सामाजिक गतिशीलता की गतिविधियों का आयोजन करने में मदद करना जैसे– ट्रिगरिंग प्रक्रिया, नुक्कड़ नाटक, फिल्म प्रदर्शन की तैयारी एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य केन्द्रों में भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता के संबंध में जानकारी देना।
- ग्राम के प्रत्येक परिवार के बारे में स्वच्छता संबंधी जानकारी देना।
- ग्राम के मुख्य स्थानों पर प्रचार–प्रसार समग्री का प्रदर्शन करना।
- ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं मेड के साथ समन्वय कर हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करवाना।
- ग्राम के ज़मीनी कार्यकर्ताओं, जैसे– आंगनवाड़ी कार्यकार्ता, स्वच्छाग्रही एवं शिक्षक आदि से समन्वय कर पाठशाला, स्वास्थ्य केन्द्र एवं परिवार स्पर पर स्वच्छता की गतिविधियों का संचालन करना।

सत्र-13

पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की भूमिका

समय: 30 मिनट

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात सभी प्रतिभागी ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के संबध में जान पाएंगे।

अवधारणा

विकेन्द्रीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुऐ 73वें संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूचि के अन्तर्गत पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994 धारा 7–क की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन किया गया है जोकि स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति एवं आंगनबाड़ी से संबंधित कार्यक्रमों का निर्वहन करेगी। ग्रामों के संपूर्ण विकास के लिए हमारे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों जनपद पचायतों व जिला पंचायतों का गठन किया गया है। चूकि पंचायतों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई है और सरपंच द्वारा सभी कार्यो का निर्वहन भी अकेले नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्यो को सुचारु रुप से क्रियान्वियत करने के लिये ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन किया गया है।

1. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1993)

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है नियम 2 के उपनियम (1) के अधीन गठित ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई है किन्तु परिभाषित नही की गई है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

2. ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन राज्य के प्रत्येक राज्यस्व ग्रामों किया गया है। इस समिति के माध्यम से समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं आंगनवाडी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन में अधिक से अधिक भागीदार बनाना है। यह समिति समुदाय में मातृ एवं शिशु हेतु स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति का सही उपयोग, साफ–सफाई आदि के बारे में जागरूकता पैदा करेगी।

3. समिति के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति एवं आंगनवाडी से संबंधित कार्यक्रमों में जोडना।

समिति का गठन एवं चयन प्रकिया

(1) तदर्थ समिति में न्यूनतम बारह एवं अधिकतम चौबीस सदस्य विषय के संबंध में हित रखने वाले होंगे जिनमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्य रहेंगी।

(2) कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची मे ंदर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो इस समिति में सदस्य रह सकेगा।

(3) समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का कम से कम एक सदस्य होगा।

(4) अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से कम से कम एक महिला नाम निर्दिष्ट होगी।

(5) समिति में ग्राम की सभी महिला पंच आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम., मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व–सहायता समूह की अध्यक्ष तथा क्षेत्र का हैण्ड पम्प मैकेनिक सहायक मैकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(6) समिति के सदस्यों को पारस्परिक सहमति से ग्राम सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(7) महिला सदस्य समिति की सभापति होगी तथा समिति के खाते के लिए पृथक कोषाध्यक्ष होगी, लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिऐ कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी सभापति और कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति के सक्रिया जाएगा।

समिति का सचिव

समिति के समस्त कृत्य समिति के सचिव द्वारा सम्पादित किए जाएंगे। समिति का प्रबंध निम्नानुसार होगाः

(1) ग्राम पंचायत का सचिव समिति का सचिव होगा। स्थानीय आंगनवाडी केन्द्र का आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अधीन आशा कार्यकर्ता सहायक सचिव होगी जो समिति के सचिव को प्राथमिक कार्यो में सहायता करेगी और सचिव द्वारा उसकी अनुपस्थिति के दौरान उनको सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा/ करेगी।

(2) यदि ग्राम में एक से अधिक आंगनवाडी और आशा कार्यकर्ता है तो व्यक्ति जो आंगनवाडी तथा आशा कार्यकर्ता में से उच्चतर अर्हता रखते हों सहायक सचिव होगा। समान शैक्षणिक अर्हता होने की दशा में कम आयु वर्ग कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा।

समिति का लेखा

(1) समिति के लेखे निम्नलिखित रीति में संधारित किए जाएंगे अर्थात्:–

(क) समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले तीन योजनावार खाते संधारित किए जांएगे समिति का प्रथम खाता ''जल स्वच्छता अभियान खाता'' होगा जिसमें जल तथा स्वच्छता की प्रतियां राष्ट्रीय ग्रामीण पेय

जल कार्यक्रम से संबंधित निधियां जमा की जाएंगी। यह खाता समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाएगा।

(ख) समिति का द्वितीय खाता ''स्वस्थ्य निधि खाता'' होगा, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सें संबंधित निधियां जमा की जाएंगी। यह खाता भी अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा आशा कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाएगा । ग्राम में एक से अधिक आशा कार्यकर्ता होने की दशा में ऐसी आशा कार्यकर्ता जो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता रखती है द्वारा खाता संचालित किया जाएगा या समान अर्हता की दशा में उक्त खाते को संचालित करने हेतु कम आयु के कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा।

(ग) समिति का तृतीय खाता ''पोषाहार खाता'' होगा तथा यह खाता समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और आंग. नवाडी कार्यकर्ता द्वारा संयुक्त रुप से संचालित किया जाएगा। ग्राम में एक से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने की दशा में ऐसी आंगनवाडी कार्यकर्ता जो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता रखती हो खाता संचालित करेंगी या समान शैक्षणिक अर्हता होने की दशा में उनमें से कम आयु का व्यक्ति उक्त खाते के संयुक्त संचालन हेतु हकदार होगा।

(2) समिति स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन के अधीन उसके द्वारा प्राप्त निधियां तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से भी प्राप्त निधियां पृथक रुप से खाते में जमा करेगी और यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक खाते से रकम/निधि के संवितरण के पूर्व बैठक में समिति का अनुमोदन/मंजूरी अभिप्राप्त करें।

कैश (नकदी) रजिस्टर

समिति योजनावार तीन कैश रजिस्टर संधारित करेगी प्रथम कैश रजिस्टर स्वच्छता अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन सम्पूर्ण संव्यवहार हेतु संधारित किया जाएगा, द्वितीय कैश रजिस्टर स्वास्थ्य निधि हेतु तथा तृतीय महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यक्रम की निधियों के लिए संधारित किया जाएगा और योजनावार निधियों की प्रविष्टियां तभी योजना के लिए संवितरित निधियां तारीख रकम तथा उसकी समस्त आवष्यक प्रविष्टियां सचिव ग्राम पांचायत आशा कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी द्वारा की जाएगी और अभिलेख दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे तथा एक प्रति ग्राम सभा के सचिव द्वारा रखी जाएगी।

समिति की बैठक

(1) समिति की बैठक एंक माह में एक बार अनिवार्य रुप से रखी जाएगी तथापि जब और जहां अपेक्षित हो कोई विशेष बैठक रखी जा सकती है।

(2) बैठक की सूचना और कार्यसूची समिति के सचिव के हस्ताक्षर के अधीन जारी की जाएगी।

(3) बैठक की तारीख समय कार्यसूची तथा स्थान अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के परामर्श से सचिव द्वारा निश्चित की जाएगी।

(4) बैठक में समिति की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों के आधे से होगी यदि गणपूर्ति नही होती है तो बैठक एक घन्टे के लिऐ स्थापित की जा सकेगी तथा स्थापित बैठक पुनः करने के प्रयोजन हेतु गणपूर्ति अपेक्षित नही होगी।

कार्यवृत रजिस्टर

(1) समिति मे कार्यवृत रजिस्टर होगा। समिति के सचिव द्वारा बैठक में लिए गए विनिश्चय उक्त रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। उक्त रजिस्टर पर ऐसे सदस्य हस्ताक्षर करेंगे जो बैठक में उपस्थित हो तथा उसके तत्पश्चात अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सचिस द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) कार्यवृत हिन्दी में अभिलिखित किए जाएंगे तथा सचिव द्वारा बैठक का कार्यवृत्त ग्राम पांचायत ब्लॉक स्तर पंचायत स्थानीय आंगनवाडी केन्द्र तथा उप–स्वस्थ्य केन्द्र को भी परिचालित करेगी।

समिति का कार्यकाल

(1) समिति की अवधि ऐसी होगी जैसी कि ग्राम पंचातय की है। नई ग्राम पंचायत के गठन के पश्चात ग्राम सभा समिति के सदस्यों को पुर्ननाम निर्दिष्ट करेगी।

(2) यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात समाप्त कर दी जाएगी। ग्राम पंचायत अर्ह सदस्य के नामनिर्देयान के द्वारा रिक्ति भरेगी।

(3) जब स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम अभियान सभी पहलुओं से पूरे हो जाते है तो संबंधित तदर्थ समिति स्वतः ही भंग हो जाएगी।

शक्तियां कृत्य तथा समिति का उत्तरदायित्व

समिति को शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यो का पुनर्विलोकन, पर्यवेक्षण मानीटर तथा समन्वयक की भूमिका और उसे सौंपे गये दायित्वों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम का निर्वहन करने हेतु सशक्त किया गया है। संबंधित योजना विभाग योजना के कार्यान्वयन भूमिका तथा समिति के उत्तरदायित्वों के लिए पृथक तथा संयुक्त रुप से प्रशासनिक निर्देश जारी करेंगे।

प्रशिक्षण–समिति से संबंधित समस्त सदस्यों को उनकी भूमिका, कृत्य तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे प्रशिक्षण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग एक संयुक्त प्रशिक्षण नियमावली बनाएंगे।

संपरीक्षा तथा लेखा– योजनावार संपरीक्षा तथा आय और व्यय तथा हित से संबंधित अभिलेखों की संपरीक्षा संबंधित विभाग द्वारा उनके संपरीक्षा दल/चार्टेड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी।

विविध

(1) ग्राम पंचायत सचिव समिति के कार्य संचालन में सहयोग तथा मार्ग दर्शन करेगा।

(2) समिति, ग्राम पंचायत के सरपंच ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) स्वयं सहायता समूह (एस.एच. जी.) अध्यक्षों/सदस्यों को विशेष आमंत्रितों के रुप मे समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

(3) समिति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर. ई.एस.) कार्यरत तकनीकी कार्मिकों से तकनीकी मार्गदर्शन लिया जा सकेगा और उनके सुझाव हिन्दी में अधिप्राप्त किए जाएंगे। सुझाव यदि कोई हो अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को संबोधित किए जाएंगे।

(4) समस्त प्राक्कलन समिति तथा किसी भी कार्यकारी अभिकरण को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(5) समिति की बैठक में लिए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील जनपद स्तर की ग्राम सभा अपील समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(6) समिति प्रारंभिक अवस्था में ग्राम सभा की तदर्थ समिति के रुप में गठित की जा रही हे। किन्तु समिति यथाशक्य शीघ्र लोकहित में एक स्थायी समिति के रुप में गठित की जाएगी।

ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अध्यक्ष, सदस्यों एवं अन्य सहयोग करने वाले लोगों की भूमिकाएं

सरपंच	▶ समिति की नियमित मासिक बैठकों की निगरानी करना, उसमें ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर के मुद्दों की पहचान कर उस स्तर पर कार्यवाही हेतु भेजना। ▶ समिति के प्रस्तावों एवं किए गए कार्यो की प्रस्तुति के लिए ग्राम सभा में अवसर सुनिश्चित कराना। ▶ समिति की कार्य योजना के आवश्यक मुद्दों को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में आवश्यकता अनुसार सम्मिलित करना। ▶ ग्राम पंचायत/जनपद/जिला पंचायत स्तर के मुद्दों की पहचान कर उन स्तरों तक प्रेषित करना/रखना। ▶ समिति के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य योजना के आवश्यक बिन्दुओं को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराना। ▶ यदि उस ग्राम में जिला या जनपद पंचायत सदस्य है तो उसे भी समय–समय पर ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की बैठकों में आंमत्रित करना।
अध्यक्ष	▶ समय पर लगातार मासिक बैठक में नेतृत्व प्रदान कर ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को सक्रिय बनाये रखना । ▶ ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की त्रैमासिक/वार्षिक/अर्धवार्षिक कार्य योजना के कियान्वयन के लिए प्रयास करना। ▶ समय पर आय–व्यय की गतिविधियों को सुनिश्चित करना। ▶ लोगो को ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति में जोड़ने एवं समस्या निदान करने के लिए पहल करना।
सचिव	▶ ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की प्रत्येक बैठक की तिथि का निर्धारण संयोजक के साथ करना। ▶ सभी सदस्यों को बैठक की सूचना मिलने को सुनिश्चित करना। ▶ त्रैमासिक व्यय की जानकारी प्रतिवेदन तैयार करने में मदद करना एवं समीक्षा, कमियों एवं उपलब्धियों पर समिति का ध्यान केन्द्रित कराना। ▶ ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की कार्य योजना के आवश्यक मुद्दों को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में आवश्यकता अनुसार सम्मिलित करना । ▶ समिति के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य योजना के आवश्यक बिन्दुओं को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराना। ▶ समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। ▶ समिति में की गई चर्चा एवं निर्णय का दस्तावेजीकरण करना। ▶ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत स्तर के मुद्दों की पहचान कर उन स्तरों तक प्रेषित करना/रखना। ▶ कार्य योजनानुसार राशि का आहरण एवं कैश बुक संधारण सुनिश्चित करना। ▶ बैठक में लिए निर्णयों की समस्त जानकारी ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में प्रस्तुत करना एवं अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना।

सचिव द्वारा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्य	▶ ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन संबंधी कार्ययोजना /गतिविधियो से अवगत कराना ▶ शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के बारे में जागरूकता के सभी पहलुओं से ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को अवगत कराकर अधिक से अधिक ग्रामीणों को इस कार्य हेतु तैयार करने में ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की मदद लेना। ▶ निर्माण कार्य की सामग्री की प्रदाय समय पर हो यह सुनिश्चित करना।
हैंडपंप मैकेनिक	▶ ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की बैठक में अगर हैंड पम्प से समबन्धित कोई समस्या आती हैं तो उस समस्या के हल हेतू उपाय सुझाना। ▶ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की हैंड पम्प से सम्बन्धित सभी जानकारियों से समिति को अवगत कराना। (कलपुर्जो, बजट आदि) ▶ उसके द्वारा हैंड पम्प की मरम्मत और रख रखाव संबन्धित किए गए कार्यो से प्रति माह ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराना।
वार्ड पंच	▶ वार्ड में लोंगों के साथ मिलकर लोगों को ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर ग्राम सभा की बैठक में शामिल कराना। ▶ ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के कार्य को ग्राम सभा की बैठकों में रखना। ▶ अपने वार्ड की समस्या को ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति में प्रस्तुत करना।
ए.एन.एम	▶ ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को समय –समय पर आवश्यक परामर्श देना। ▶ ए.एन.एम. द्वारा ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठक में उपस्थित होकर सहयोग देना। ▶ उपस्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देते हुए ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को वार्षिक कैंलेंडर बनाने में सहयोग कराना। ▶ सेवा संबंधी कठिनाइयों से ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को अवगत कराना। ▶ ग्राम में प्रत्येक शिशु /बाल मृत्यु पर समीक्षा (कारणो की पहचान कर) कर विस्तृत जानकारी ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को देना एवं ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की ओर से इस पर प्रतिवेदन ,खण्ड चिकित्सा अधिकारी /मु.ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करना। ▶ उपस्वास्थ्य केन्द्र के अनटाइड फंड का उपयोग ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अनुमोदन प्रस्ताव अनुसार आवश्यक होने पर उस संबधित ग्राम के लिए सुनिश्चित करना। ▶ जननी सुरक्षा योजना की जानकारी देना एवं उससे संबंधित गत माह में निपटाए गए प्रकरण पर जानकारी देना।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	▶ आंगनबाड़ी केन्द्र में कुपोषण पर जानकारी ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को प्रस्तुत करना। ▶ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की केन्द्र के अंतर्गत होने वाले समस्या को समिति में रखना। ▶ सेवा संबंधी कठिनाइयों से ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को अवगत कराना। (पूर्व प्राथमिक शिक्षा, टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा सत्र, संदर्भ सेवा।) ▶ ग्राम में प्रत्येक माह कुपोषण पर समीक्षा कर विस्तृत जानकारी ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को देगी एवं ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का इस पर प्रतिवेदन, खण्ड चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
शिक्षक/प्रधा नाध्यापक (सहयोगी सदस्य)	▶ समिति को स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर सलाह देना। ▶ समिति द्वारा स्वच्छता/ स्वास्थ्य संबंधी लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में सहयोग देना। ▶ मध्यान्ह भोजन, स्वच्छ भारत मिशन संबंधी शाला स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों से समिति को अवगत कराना।

ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के दायित्व

1. समिति के सदस्यों संबंधित विभागों के समस्त कार्यो का पुर्नविलोकन, पर्यवेक्षण, मॉनिटर तथा समन्वय के उत्तरदायित्व के साथ–साथ संबंधित पंचायत में प्रचार–प्रसार व जागृति हेतु बैठक आयोजित कर दिनांकवार कार्यवाही विवरण संधारित करेंगे।
2. ग्राम में संचालित कार्यो का दायित्व निर्धारण हेतु वार्डवार कार्य विभाजन कर उत्तरदायित्व दिया जायेगा।
3. निर्धारित समस्त खातों का संधारण निश्चित समय–सीमा में करेंगे।
4. समिति की प्रत्येक बैठक में समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5. समिति द्वारा ग्राम में संचालित नल–जल योजना, सफाई व्यवस्था हेतु निर्धारित कर (Tax) की वसूली कर, सफाई एवं नल–जल रखरखाव व्यवस्थापन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
6. प्रशिक्षित समिति द्वारा समय–समय पर ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
7. पंचायत द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने पर समिति द्वारा व्यक्ति/समुदाय विशेष को दंडित किये जाने हेतु प्रस्ताव ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा।
8. समिति द्वारा ग्राम में समय–समय पर रैली, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, कठपुतली शो आदि द्वारा ''व्यवहार'' परिवर्तन हेतु सार्थक प्रयास किये जाएंगे।

सत्र-14

पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ग्राम की अन्य समितियों एवं समूहों से समन्वय सहयोग

समय: 30 मिनट

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात सभी प्रतिभागी ग्राम की अन्य समितियों एवं समूहों से समन्वय सहयोग के संबध में जान पाएंगे।

ग्राम में निम्नानुसार समितियां एवं समूह होते है जिनसे ज़मीनी कार्यकर्ता को निरंतर समन्वय बनाए रखना है तथा साथ ही उनके सहयोग से ग्राम को खुले में शौंच मुक्त एवं निर्मल ग्राम बनाना है

क्रम	समिति/समूह का नाम	समिति समूह के मुख्य कार्य	सहयोग एवं समन्वय के बिंदु
1.	**ग्राम सभा स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति**	▶ ग्राम के सभी लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति एवं आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना। ▶ पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाले लाभ को दिलाना सुनिश्चित करना और इन योजनाओं की मॉनिटरिंग में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना। ▶ ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लोगो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना। ▶ शालेय स्वच्छता अंतर्गत स्वच्छता मित्र के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता एवं स्वस्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। ▶ समय–समय पर शाला एवं आंगनवाड़ी में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधा की निगरानी।	▶ स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन हेतु समन्वय। ▶ व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्रदान कराने हेतु सहयोग। ▶ स्वच्छता के प्रति समुदाय में जागरूकता बढ़ाने हेतु सहयोग। ▶ ग्राम के ज़मीनी कार्यकर्ताओं का स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सहयोग। ▶ शाला एवं आंगनवाड़ी में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधा की निगरानी एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए।

क्रम	समिति/समूह का नाम	समिति समूह के मुख्य कार्य	सहयोग एवं समन्वय के बिंदु
2.	**शाला प्रबंधन समिति**	▶ शालाओं में प्रशासकीय व्यवस्था हेतु शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को सहयोग करना। ▶ विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, ठहराव एवं बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सहयोग।	▶ शालाओं में स्वच्छता सुविधाओं, जैसे– बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों की उपलब्धता। शौचालय इकाइयों में निरंतर पानी की व्यवस्था। पंचायत के साथ समन्वय कर शौचालय की नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था करना।
		▶ शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के साथ मिलकर शाला में स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता एवं रख–रखाव सुनिश्चित करना।	▶ माध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ ▶ धुलाई हेतु साबुन एवं पानी की व्यस्था सुनिश्चित करना। ▶ शालाओं में नियमित स्वच्छता शिक्षा, सक्रिय चाइल्ड कैबिनेट का गठन एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के अनुश्रवण की व्यवस्था करना।
3.	**चाइल्ड कैबिनेट; बाल संसद**	▶ बच्चों में ''रचनात्मकता'', निर्णाय लेने की क्षमता, समस्या का विश्लेषण करके समाधान खोजना तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करना। ▶ बच्चों में 'स्व अभिप्रेरणा', स्व अनुशासन' तथा सहपाठियों के साथ मिलकर समूह में काम करने की क्षमता का विकास करना। ▶ बच्चों को ग्राम तथा विद्यालय में स्वास्थ्य', 'स्वच्छता', जल एवं पर्यावरण 'सुरक्षा' तथा 'खेल एवं संस्कृति' मुद्दों पर विचार व्यक्त करने गतिविधियों का आयोजन करने अनुश्रवण करने के अवसर उपलब्ध कराना।	▶ विद्यालय में स्वच्छता सुविधाओं के रख–रखाव एवं स्वच्छता के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था। ▶ बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था। ▶ बच्चों द्वारा माध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धुलाई हेतु व्यवस्था एवं अनुश्रवण करना। ▶ विद्यालय स्वच्छता एवं पेयजल के मापदंडों के प्राप्त करने एवं धारणीय रखने हेतु बच्चों का सहयोग। ▶ समुदाय में बच्चों की सहायता से स्वच्छता के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करना।

क्रम	समिति/समूह का नाम	समिति समूह के मुख्य कार्य	सहयोग एवं समन्वय के बिंदु
4.	**स्वयं सहायता समूह**	▶ ग्राम के कुछ लोगों एवं महिलाओं का समूह जिनके द्वारा आय हेतु एक साथ मिलकर कार्य किया जाता है।	▶ समूहों के भागीदारी का उपयोग स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने तथा लोगों में जागृति पैदा करने तथा लोगों में जागृति पैदा करने हेतु किया जा सकता है। ▶ साथ ही स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण एवं रख–रखाव में सहयोग लिया जा सकता है।
5.	**अन्य धार्मिक समूह**	▶ ग्राम के कुछ लोगों या महिलाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट ▶ धार्मिक दिवसों पर विशेष आयोजन किए जाते है।	▶ समूहों के भागीदारी का उपयोग स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने तथा लोगों में जागृति पैदा करने हेतु किया जा सकता है।
6.	**भजन मंडली**	▶ ग्राम के कुछ लोगों या महिलाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट ▶ धार्मिक दिवसों पर विशेष आयोजन किए जाते है।	▶ समूहों के भागीदारी का उपयोग गीत/संगीत के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने तथा लोगों में जागृति पैदा करने हेतु किया जा सकता है।

सत्र–15

खुले में शौच से मुक्त करने हेतु कार्ययोजना निर्माण

समय: 15 मिनट

कार्ययोजना निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत की निम्न जानकारी प्राप्त हो

- कुल परिवारों की संख्या
- शौचालयुक्त परिवारों की संख्या
- शौचालय विहीन परिवारों की संख्या
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पात्र परिवारों की संख्या

कृपा ध्यान दें: कार्य प्रपत्र योजना के लिए पेज–70 पर अनुलग्नक–2 को देखिए।

तैयार किये गये प्लान का ग्राम पंचायत विकास योजना में अनुमोदन:

कार्य योजना के पूर्ण होने के पश्चात ग्राम पंचायत स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये ग्राम सभा के वार्षिक विकास योजना में इसका शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है जिससे पंचायत व प्रशासन स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके।

तैयार की गई कार्ययोजना को ग्राम सभा की आम बैठक में दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करके पंचायत की वार्षिक कार्य योजना के साथ अनुमानित बजट का आंकलन कर जोड़ा जायेगा जिससे की पंचायतों को कार्य के अनुसार पर्याप्त बजट कर प्रावधान वित्तीय वर्ष में किया जा सके।

सत्र-16

सामाजिक गतिशीलता गतिविधियों का आयोजन एवं सहयोग

समय: 15 मिनट

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात सभी प्रतिभागी सामाजिक गतिशीलता गतिविधियों का आयोजन एवं सहयोग के संबध में जान पाएंगे।

सामाजिक गतिशीलता गतिविधियों का आयोजन एवं सहयोग

गतिविध का नाम	आवश्यक तैयारी	कैसे करें आयोजित
महिला बैठकों का आयोजन	▶ किसी क्षेत्र में बैठक रखने के लिए आस–पास के ऐसे घर का चयन करें जहां सब आसानी से आ सके इसमें अ.जा., अ.ज.जा. एवं पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी हो। ▶ बैठक का दिन समय (महिलाओं की सुविधानुसार) एवं स्थान की चयन करें। ध्यान दें कि बैठक का समय बहुत लंबा न हो। यदि वहां महिला पंच हो तो उन्हे भी शामिल करें। ▶ बैठक के लिए किसी एवं विषय का चयन करें।	▶ बैठक में महिलाओं का स्वागत करें। ▶ अपना परिचय दें व सबका परिचय लें। ▶ विषय पर आने से पहले उनसे उनका हाल–चाल पूछें। बच्चें के प्रति उनकी दिनचर्या पर बात करें, फिर उनसे दिन के विषय के बारे में बताएं। ▶ उस विषय के बारे में उन्हे पहले से क्या जानकारी है यह जानें। ▶ पूरे समय की भागीदारी बनाएं। यह ध्यान रखें कि सबको बोलने का मौका मिले। ▶ किसी का उस विषय से संबंधित कोई अनुभव हो, तो उसे सबके साथ बांटने के लिए प्रोत्साहित करें। ▶ फिर चर्चा करते हुए, उन्हे उस समय पर विस्तृत जानकारी दें। इसमें कहानी व केस स्टडी का प्रयोग करें तथा साथ ही संचार सामग्री, जैसे–फ्लिप बुक तथा लीफलेट का भी प्रयोग करें। ▶ उनसे खुले प्रश्न पूछकर उनकी समझ सुनिश्चित करें। ▶ अंत में उन्हीं की सहायता से विषय की मुख्य–मुख्य बातें दोहराऐं। ▶ इस जानकारी को अन्य के साथ बांटने के लिए उन्हे प्रोत्साहित करें। ▶ यदि संभव हो तो कार्य योजना का निर्माण करें तथा सभी को दायित्वों के बारे में बताऐं। ▶ सभी को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद दें।

गतिविध का नाम	आवश्यक तैयारी	कैसे करें आयोजित
सामुदायिक बैठकों का आयोजन	▶ ग्राम के मुख्य स्थान पर बैठक का आयोजन करें जहां सभी लोग बैठ सकें। ▶ बैठक का दिन समय (सामुदायिकी सुविधानुसार) एवं स्थान का चयन करें। ध्यान दें कि बैठक का समय बहुत लंबा न हो। वहां पंच/सरपंच आदि को भी शामिल करें तथा विकास खण्ड स्तर के किसी अधिकारी को भी आमंत्रित करें। ▶ बैठक के लिए किसी एक विषय का चयन करें। ▶ चयनित घरों में स्वच्छता दूत साथी के साथ सभी घरों में जाकर पूर्व में जानकारी दें। ▶ बैठक का एजेंडा तैयार रखें।	▶ बैठक में सभी का स्वागत करें। ▶ अपना परिचय दें व सबका परिचय लें। ▶ विषय पर आने से पहले उनसे उनका हाल–चाल पूछें। ▶ थोड़ी उनकी रोज की दिनचर्या पर बात करें, फिर उनसे बच्चें एवं महिलाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी को जोड़ते हुए उन्हें उस दिन के विषय के बारे में बताएं। ▶ उस विषय के बारे में उन्हे पहले से क्या जानकारी है यह जानें। ▶ पूरे समय की भागीदारी बनाएं। यह ध्यान रखें कि सबको बोलने का मौका मिले। ▶ किसी का उस समय विषय से संबंधित कोई अनुभव हो तो उसे सबके साथ बांटने के लिए प्रोत्साहित करें। ▶ फिर चर्चा करते हुए उन्हें उस विषय पर विस्तृत जानकारी दें। इसमें कहानी व केस स्टडी का प्रयोग करें तथा साथ ही संचार सामग्री जैसे फ्लिप बुक तथा फ्लेक्स बैनर का भी प्रयोग करें। ▶ उनसे खुले प्रश्न पूछ कर उनकी समझ सुनिश्चित करें। ▶ यदि संभव हो तो कार्ययोजना का निर्माण करें तथा सभी को दायित्वों के बारे में बताएं। ▶ सभी को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद दें। ▶ बच्चों को बताना कि जो हाथ साफ दिखते है वो साथ नहीं होते। ▶ कुछ बच्चों को बुलाकर साबुन के साथ धुलाई का प्रदर्शन करना। जैसा कि सत्र 3 मे बताया गया है। ▶ सभी बच्चों के बाताएं कि निम्न सामय पर साबुन से हाथ धोना चाहिए– • भोजन करने से पहले • भोजन पकाने से पहले • भोजन परोसने से पहले • शिशु को भोजन करवाने से पहले • शौच करने के बाद • शिशु का मल धुलाने/साफ करने के बाद ▶ सभी बच्चों को साबुन से हाथ धोने का तरीका बतायें। ▶ बच्चों को कहे कि वे सभी रोजाना साबुन से हाथ धोना प्रारंभ करेंगे एवं अपने घर में जाकर अपने भाई बहन एवं माता–पिता को भी बताएं।

गतिविध का नाम	आवश्यक तैयारी	कैसे करें आयोजित
		▶ यही प्रकिया सभी कक्षाओं/बच्चों के समूहो के साथ दोहराएं। ▶ माह में कम से कम दो बार विद्यालय में जाकर देखें कि बच्चे जो सिखाया गया है कर रहे हैं कि नहीं। अगली बार में नए विषय के बारे में जानकारी दें जैसे– शौचालय का निर्माण एवं उपयोग, जल की स्वच्छता आदि।
बाल कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक	▶ विद्यालय में जाकर शिक्षकों से बच्चों से बैठक हेतु स्वीकृति प्राप्त करना एवं समय निर्धारित करना। ▶ बैठक के पूर्व अपनी किट मे फ्लिपबुक, हाथ धुलाई प्रदर्शन हेतु सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करना। ▶ बाल कैबिनेट के विभिन्न मंत्रियों के कार्य आदि पर जानकारी प्राप्त कर लेवें।	▶ बाल कैबिनेट के सभी सदस्यों एवं शिक्षकों के साथ शाला में बैठने की व्यवस्था करें। ▶ बच्चों एवं शिक्षकों का स्वागत करें। ▶ सभी को बाल कैबिनेट के बारे में जानकारी दें। ▶ बाल कैबिनेट के बारे में जानकारी दें। ▶ बाल कैबिनेट के प्रत्येक मंत्री एवं समूह की कार्ययोजना बनावाएं। ▶ स्वच्छता एवं पर्यावरण मंत्री/समूह एवं शिक्षक के साथ मिलकर मध्यान्ह भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धुलाई एवं शाला शौचालय के रखरखाव आदि पर कार्ययोजना एवं दायित्व निर्धारित करें। ▶ सभी को दायित्व एवं कार्य योजना अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करें।
आंगनवाड़ी सेन्टर पर मंगल दिवस के दौरान परिचर्चा	▶ बैठक का दिन समय (महिलाओं की सुविधानुसार) आंगवाड़ी कार्यकर्ता के साथ निर्धारित करें। ध्याने दें, कि बैठक का समय बहुत लंबा न हो। यदि वहां महिला पंच हो तो उन्हे भी शामिल करें। ▶ बैठक के लिए किसी एक विषय का चयन करें। ▶ चयनित घरों में जाकर महिलाओं को बैठक की पूर्व जानकारी दें। ▶ बैठक का ऐजेंडा तैयार रखें।	▶ बैठक में महिलाओं का स्वागत करें। ▶ अपना परिचय दें व सबका परिचय लें। ▶ विषय पर आने से पहले उनसे उनका हाल–चाल पूछें। ▶ थोड़ी उनकी दिनचर्या पर बात करें फिर उससे बच्चें के प्रति उनकी जिम्मेदारी को जोड़ते हुए उन्हे उस दिन के बारे के विषय के बारें में बताएं। ▶ उस विषय के बारे में उन्हे पहले से क्या जानकारी है यह जाने। ▶ पूरे समय की भागीदारी बनाएं। यह ध्यान रखें कि सबको बोलने का मौका मिले। ▶ किसी का उस विषय से संबंधित कोई अनुभव हो, तो उसे सबके साथ बांटने के लिए प्रोत्साहित करें। ▶ फिर चर्चा करते हुए, उन्हे उस समय पर विस्तृत जानकारी दें। इसमें कहानी व केस स्टडी का प्रयोग करें तथा साथ ही संचार सामग्री, जैसे–फ्लिप बुक तथा लीफलेट का भी प्रयोग करें।

गतिविध का नाम	आवश्यक तैयारी	कैसे करें आयोजित
		▶ उनसे खुने प्रष्न पूछकर उनकी समझ सुनिष्चित करें। ▶ अंत में उन्ही की सहायता से विषय की मुख्य–मुख्य बातें दोहराऐं। ▶ इस जानकारी को अन्य के साथ बांटने के लिए उन्हे प्रोत्साहित करें। ▶ धन्यवाद के साथ बैठक का समापन करें।
बच्चों की रैली	▶ विद्यालय में जाकर शिक्षकों से बच्चों की रैली हेतु स्वीकृति प्राप्त करें एवं समय निर्धारित करना। ▶ रैली के पूर्व सामग्री जैसे– स्वच्छता संदेशों की तख्तियां, बैनर इत्यादि की व्यवस्था करें। ▶ रैली के दौरान संदेशों को बोलने हेतु बच्चों के दल का चयन कर प्रैक्टिस कराएं।	▶ निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय में पहुंचकर तैयारी सुनिश्चित करें। ▶ चयनित बच्चों की टोली को 2 या 3 मुख्य संदेशों के बारे में हर घर मे बात करने हेतु तैयारी करवाएं। संदेशों की पर्चियां परिवार के सदस्यों को देने हेतु प्रदान करें। ▶ निर्धारित रूट के अनुयार बच्चों की रैली निकलवाएं। रैली शुभारंभ करने हेतु जनप्रतिनिधि/सरपंच आदि को आमंत्रित करें। ▶ अंत में रैली के लिए बच्चों एवं शिक्षकों का धन्यवाद करें।
पंच एवं राय निर्माताओं के साथ गृह संपर्क अभियान	▶ पंच एवं राय निर्माताओं जो कि गृह संपर्क अभियान मे भाग लेगें, उनके साथ बैठ कर परिवारों में दिये जाने वाले संदेशों के बारे में जानकारी दें तथा गृह संपर्क अभियान का दिनांक एव समय तय कर लें। ▶ गृह संपर्क अभियान के पूर्व आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री जैसे पोस्टर, लीफलेट एवं फ्लिपबुक आदि एकत्रित कर साथ में रखें।	▶ गृह संपर्क अभियान के पूर्व सभी पंच एवं राय निर्माताओं को एक स्थान पर एकत्रित करें। ▶ गृह संपर्क अभियान हेतु यदि आवश्यक हो तो 3–4 लोगों के समूहों का निर्माण करें। ▶ गृह संपर्क के लिए प्रत्येक समूह हेतु सभी सदस्यों का निर्धारण करें। ▶ अपने आने का उद्देष्य बताएं तथा राय निर्माताओं के द्वारा परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दिलवाएं (क्या सही है फायदे आदि) तथा साथ ही परिवार के सदस्यों से वांछित क्रिया जैसे– घर में शौचालय का सभी सदस्यों द्वारा उपयोग, महत्वपूर्ण समय पर साबुन से हाथ धुलाई प्रारंभ करना इत्यादि पर चर्चा करें तथा निर्णय लेने में मदद करें। ▶ यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण जानकारी जैसे शौचालय निर्माण की सामग्री कहां से मिलेगी, कौन से कारीगर का उपयोग किया जाए, निर्माण में क्या ध्यान रखा जाए इत्यादि पर विस्तृत जानकारी दें। ▶ यदि प्रदर्शन की आवश्कता हो तो जरूर कर के दिखाएं। ▶ अंत में महत्वपूर्ण बातों को दोहराएं। ▶ वापस जाकर कुछ दिनों बाद देखें कि जो व्यवहार अपेक्षित था हो रहा है कि नहीं। यदि हां तो परिवार के अनुभव पर चर्चा करें यदि नही हो रहा है तो पुनः चर्चा करें।

गतिविध का नाम	आवश्यक तैयारी	कैसे करें आयोजित
नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन के पूर्व तैयारी	▶ नुक्कड़ नाटक हेतु ऐसा स्थान तय करें जहां ज्यादा लोग जिसमें आवश्यक रूप से महिलाएं तथा पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हो सके। ▶ नुक्कड़ नाटक के लिए तय दिनांक के एक दिवस पूर्व परिवारों में जाकर तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को समय तथा स्थान की जानकारी दें। ▶ बैठने हेतु आवश्यक व्यवस्था, जैसे–दरी आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करें।	▶ नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन के नियत दिनांक को सभी को आमंत्रित करें। ▶ सभी के बैठने हेतु व्यवस्था करें। महिलाओं के लिए एक स्थान निश्चित करें ताकि उन्हे देखने में कोई परेशानी न हो। ▶ सभी का स्वागत करें तथा नुक्कड़ नाटक करवाएं। ▶ नाट्य दल के सहयोग से नुक्कड़ नाटक करवाएं। ▶ अंत में नुक्कड़ नाटक के बारें में लोगों से जानकारी लें, जैसे– नुक्कड़ नाटक कैसा लगा? इससे हमें क्या संदेश मिला? कोई प्रश्न यदि हो तो उसका जबाब दें, नुक्कड़ नाटक की किस बात पर अमल करेगें इत्यादि। ▶ अंत में सभी का धन्यवाद करें तथा नुक्कड़ नाट्य दल के सदस्यों का भी धन्यवाद करें।
फिल्म प्रदर्शन के पूर्व तैयारी	▶ फिल्म प्रदर्शन हेतु ऐसा स्थान तय करें जहां ज्यादा से ज्यादा लोग, जिसमें आवश्यक रूप से महिलायें तथा पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हो सकें। ▶ फिल्म प्रदर्शन के नियत दिनांक के एक दिवस पूर्व परिवारों में जाकर तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को समय तथा स्थान की जानकारी दें। ▶ बैठने हेतु आवश्यक व्यवस्था, जैसे दरी आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करें। ▶ फिल्म चलाने हेतु आवश्यक सामग्री जैसे– टी.वी., डी.वी.डी प्लयेर इत्यादि की व्यवस्था करें।	▶ फिल्म के प्रदर्षन के नियत दिनांक को सभी आमंत्रित करें। ▶ सभी के बैठने हेतु व्यवस्था करें। महिलाओं के लिए एक स्थान निश्चित करें ताकि उन्हे देखेने मे कोई परेशानी ना हो। ▶ सभी का स्वागत करें तथा फिल्म के विषय में जानकारी देवें। ▶ फिल्म चलाएं तथा सभी को शांति से देखने हेते कहें। ▶ अंत में फिल्म के बारें में लोगों से जानकारी लें जैसे फिल्म कैसी लगी, इससे हमें क्या संदेश मिला कोई प्रश्न यदि हो तो उसका जबाव दें फिल्म की किस बात पर अमल करेगें इत्यादि। ▶ अंत में सभी का धन्यवाद करें। ▶ कुछ फिल्में ऐसी भी हो सकती है जिसमें बीच–बीच में प्रश्न पूछा जाता है या चर्चा करानी होती है। उनसे जहां आवश्यक हो, बीच में फिल्म को रोक कर बातचीत करें।

अनुलग्नक-1

पंजीयन फार्म

1. प्रतिभागी का नाम .....

2. प्रशिक्षण में प्रशिक्षु किस स्तर के प्रशिक्षक है (सही बाक्स में टिक करें)

सरपंच | सचिव | आशा कार्यकर्ता | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | ए.एन.एम. | शिक्षक

3. प्रशिक्षण की तिथि ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

दिन | महीना | वर्ष

4. घर का पता .....

.....

मोबाइल नम्बर.....

5. आयु (वर्ष में) ☐☐

6. शिक्षा ☐ 10 वें स्तर से कम ☐ बाहरवीं ☐ स्नातक ☐ निरंक्षर

7. वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य

8. वर्तमान प्रशिक्षण के पूर्व अन्य किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है।

☐ हां ☐ नहीं

यदि हां तब विवरण दें

.....

.....

9. अन्य कोई जानकारी जो आप साझा करना चाहते हो

.....

.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

अनुलग्नक-2

कार्य योजना प्रपत्र

क्र. मां	गतिविधि	समय–सीमा	किसकी जिम्मेदारी होगी	हस्तक्षेप का विवरण	रिमार्क
1.	शौचालय विहीन परिवारों की पहचान				
2.	क्षतिग्रस्त शौचालय वाले परिवारों की पहचान				
3.	पात्र परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन एवं मनरेगा के अंतर्गत लाभ दिलवाने के लिए जनपद पंचायत को आवेदन				
4.	अपात्र परिवारों के शौचालय निर्माण के लिए समुदाय स्तर पर चर्चा एवं विकल्पों का निर्धारण				
5.	खुले में शौच मुक्त के लिए ग्राम सभा की बैठक का आयोजन ▶ संकल्प पारित करना ▶ शौचायल निर्माण कार्ययोजना का अनुमोदन ▶ मनरेगा की एस.ओ.पी में कार्ययोजना को शामिल करना				
6.	समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता विधियों का प्रयोग एवं समुदाय जागरूकता, निगरानी समिति निर्माण इत्यादि				
7.	शौचालय निर्माण के लिए परिवारों को प्रेरित करना एवं आवेदन करवाना				
8.	स्वच्छता रैली, ग्राम संपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से समुदाय को प्रेरित करना				
9.	शौचालय निर्माण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर राजमिस्त्री की उपलब्धता, चयन एवं प्रशिक्षण				
10.	शौचालय निर्माण में लगने वाली सामग्री की उपलब्धता, वेंडर से सम्पर्क तथा पंचायत एवं वेंडर का संवाद				
11.	शौचालय निर्माण को प्रारंभ करना				

क्र. मां	गतिविधि	समय–सीमा	किसकी जिम्मेदारी होगी	हस्तक्षेप का विवरण	रिमार्क
12.	शौचालय निर्माण की गुणवत्ता, उपयोगिता इत्यादि की निगरानी				
13.	शौचालय निर्माण कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करवाना				
14.	निर्मित शौचालयों का उपयोग हेतू प्रचार प्रसार एवं निगरानी				
15.	खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत होने पर समारोह का आयोजन				

नोट – उपरोक्त 15 बिन्दु खुले में शौच मुक्त कार्ययोजना के लिए न्यूनतम जरूरी गतिविधियां है। ज़मीनी स्तर के आधार पर इसमें अतिरिक्त गतिविधियों को जोडा जा सकता है।